कार्यालय जनपद पंचायत घटिया जिला उज्जैन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

17 बिन्दुओं पर आधारित जानकारी

अध्याय – एक
विभाग की संरचना, कर्तव्य एवं दायित्व

अध्याय – दो
अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

अध्याय – तीन
निर्णय लेने की प्रक्रिया, जवाबदेही एवं पर्यवेक्षण

अध्याय – चार
कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी मापदंड

अध्याय – पाँच
अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन संबंधी अधिनियम, नियम,विधियाँ, उपविधियाँ तथा आदेश – निर्देश

अध्याय – छः
संधारित अभिलेख की श्रेणी एवं अभिरक्षा

अध्याय – सात
नीति निर्धारण या क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों के परामर्श की व्यवस्था

अध्याय – आठ
योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जन प्रतिनिधियों से परामर्श की व्यवस्था– सलाहकार समितियों / बोर्ड का गठन

अध्याय – नौ
विभागीय अधिकारियों की डायरेक्टरी

अध्याय – दस
अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन – विवरण

अध्याय – ग्यारह
जिलों को योजनावार का आवंटित बजट

अध्याय – बारह
अनुदान, राज्य सहायता कार्यक्रमों की रीति

अध्याय – तेरह
रियायतें, अनुज्ञा पत्र तथा प्राधिकार का विवरण

अध्याय – चौदह
इलेक्ट्रानिक रुप में उपलब्ध सूचनाऐं

अध्याय – पन्द्रह
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाऐं

अध्याय – सोलह
लोक सूचना अधिकारी के पदनाम, पता अन्य विवरण

अध्याय – सत्रह
अन्य उपयोगी जानकारियाँ

अध्याय –एक

पंचायत विभाग की संरचना कर्तव्य एवं दायित्व

विभागीय संरचना

पंचायत विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिये राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभागीय अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है । यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में 24 ग्राम सहायक कार्यरत हैं। जो वर्तमान में पंचायत सचिव की हैसियत से पंचायतों में कार्यरत हैं । राज्य शासन के 12 सितंबर 1995 के आदेश द्वारा पंचायत कर्मी योजना लागू करते हुए ग्राम सहायक संवर्ग को ''डाईंग कैडर'' घोशित किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय

ग्राम पंचायतें संख्या 69

विभाग के दायित्व

भारत के संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरुप प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्था स्थापित है, इसे सफल बनाना, विकास योजनाओं को मूर्तरुप दिया जाकर लोक तंत्रीय ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था और जन भागीदारी को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित विशयों से संबंधित योजनाओं के कियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रबंधन के बारे में त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देना एवं पंचायतों या ग्राम सभाओं को उनके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों से परिचित कराकर प्रदेश में ग्राम स्वराज त्वरित गति से स्थापित हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का गठन 01 नवम्बर, 1956 को तत्कालीन महाकौशल, छत्तीसगढ़, मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश तथा राजस्थान के सब डिवीजन सिरोंज को मिलाकर किया गया।
विभिन्न घटकों में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित पृथक–पृथक कानून/व्यवस्थाऐं प्रचलित थी । प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में एक रुपता लाने की दृष्टि से वर्श 1962 में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1962 बनाया गया । प्रदेश में पंचायतराज व्यवस्था को और अधिक सशक्त व कारगर बनाने की दृष्टि से समय–समय पर आवश्यक संशोधन कर वर्श 1981 तथा 1990 में नये पंचायत अधिनियम बनाये गये । भारत के संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरुप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी, 1994 से लागू किया गया है । संविधान की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाकर माह मई–जून, 1994 में त्रिस्तरीय पंचायत के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराये गये । प्रदेश में 45 जिला पंचायतें, 459 जनपद पंचायतें तथा 31,138 ग्राम पंचायतें गठित की गई । वर्श 1999–2000 में माह जनवरी–फरवरी में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल पूर्ण होने के कारण पुनः चुनाव संपन्न कराये गये। विभाजित मध्यप्रदेश की कुल 45 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों तथा 22,029 ग्राम पंचायतों का निर्वाचन हुआ। जनवरी–फरवरी 2005 में त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का तृतीय सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुए जिसमें 48 जिला पंचायत 313 जनपद पंचायत एवं 23051 ग्राम पंचायतों में कुल 3.97 लाख पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए है । जिनमें अनुसूचित जाति वर्ग के 61103 व्यक्ति तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के 112938 व्यक्ति आज त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं के पदधारी हैं। प्रदेश में तीनों स्तर की पंचायतों में 134368 महिलाओ को प्रतिनिधित्व मिला है। इस प्रकार मध्यप्रदेश ने पंचायत

राज की स्थापना में पंचायतों को संविधान की 11 वीं अनुसूची में उल्लेखित विशयों से संबंधित योजनाऐं/परियोजना/कार्यकमों और कार्यकलापों के कियान्वयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं प्रबंधन संबंधी अधिकार तथा दायित्व सौंपे गये । निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अपने स्थानीय क्षैत्र की योजनाओं में नेतृत्व प्रदान कर बहुआयामी सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। सही मायने में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाला कदम मील का पत्थर साबित हुआ है । पंचायतों को जहां एक तरफ अधिकार और शक्तियां दी गई है और दूसरी ओर मतदाताओं को ग्राम सभा को सशक्त बनाकर स्थानीय स्तर पर सत्ता के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता के साथ अधिक प्रभावी भूमिका भी सौंपी गई है। पंचायतों की शक्तियों एवं कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिये उनके क्षैत्राधीन शासकीय कर्मचारियों का अमला और राशियां भी उनकी पंचायत की निधि में सीधे जमा की जा रही है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी रहकर अपनी इच्छा शक्ति से कार्य कर सकें। शासन के स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण,कृशि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, खेल एवं युवक कल्याण, ग्रामोद्योग, चिकित्सा शिक्षा,जनशक्ति नियोजन, पशुधन, दुग्ध विकास, मछलीपालन, वन, समाज कल्याण, श्रम, उर्जा आदि विभागों की ग्रामीण स्थानीय क्षैत्रों में चलित योजनाओं के कार्यकमों को जनसहभागिता से कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत को जिला पंचायत की मुख्य प्रशासनिक इकाई के रूप में तथा ग्राम पंचायत को जिला पंचायत के उन सारे कार्यकमों के कियान्वयन ऐजेन्सी के रूप में विकसित किया गया है। पंचायतें अपनी अधिकारिता में वार्शिक योजना एवं प्रबंधन की संपूर्ण व्यवस्थाओं की अधिकारिता रखती है और समितियों के माध्यम से लिये गये निर्णयों का पालन करती है। पंचायतें अब स्वयं अपने निकाय के कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और उनके कार्यों का अधीक्षण, नियंत्रण तथा अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये सक्षम है।

ग्राम सभाओं को निम्नाकित कृत्य एवं शक्तियॉ सौंपी गई है :–

 व्यक्तियों की परंपराओं तथा रूढियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढिगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना। ग्राम सभा क्षेत्र के प्राकृतिक स्रोतों जैसे भूमि, जल तथा वनों का उनकी परंपरा अनुसार प्रबंधन ।

———

अध्याय दो

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य

मध्यप्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1995

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 1995 क्र. बी–1–25 (1)–95–बाईस–पं.–2 – मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 72 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा निम्नलिखित निम्न जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है अर्थात् –

नियम

1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य) नियम 1995 है।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994)

(ख) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा

(घ) ''पंचायत'' से अभिप्रेत है यथा स्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत

3. इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, इसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए कार्यपालिक शक्तियॉं मुख्य कार्यपालिक अधिकारी में निहित होंगी जो –

(क) इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते उसे विशिष्ट रूप से प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार तथा अध्यक्ष के साधारण अधिक्षण के अध्यधीन रहते हुए, पंचायत के अधिकारियों तथा सेवकों के कर्त्तव्यों को अधिकथित करेगा तथा उनका पर्यवेक्षण करेगा उन पर नियंत्रण रखेगा।

(ग) धारा 44 तथा 47 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, पंचायत तथा उसकी स्थायी समिति का सम्मिलन बुलाएगा तथा उसकी कार्यवाहियों को बनाये रखेगा।

(घ) जब तक कि उसे युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारण से रोका न जाए तब तक पंचायत तथा उसकी स्थाई समिति के सम्मिलन में उपस्थित रहेगा।

(ड़) पंचायत के सम्मिलन में चर्चाओं के अधीन किसी विशय के संबंध में जानकारी या स्पष्टीकरण दे सकेगा।

(च) पंचायत के संकल्पों के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करेगा।

(छ) पंचायत तथा उसकी स्थाई समितियों के सम्मेलन की कार्यवाहियों से संबंधित समस्त कागज पत्रों तथा दस्तावेजों की अभिरक्षा करेगा।

(ज) पंचायत के प्रशासन से संबंधित (वापसियां) (रिटर्न) विवरणियां, प्राकलन, सांख्यिकी या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(झ) पंचायत या स्थाई समिति के सम्मिलन की तारीख से तीन दिन के भीतर ऐसे समस्त प्रकरणों की विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जहां उसकी राय में पंचायत या उसके अध्यक्ष या किसी स्थाई समिति के अध्यक्ष (चयेरपर्सन) का कोई कार्य या किसी आदेश का निष्पादन या संकल्प इस अधिनियम के उपबंधों या उसकी अधीन विरचित नियमों या इस अधिनियम के अधिन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेशों या अनुदेशो के अनुसार नहीं है, रिपोर्ट करेगा।

4. इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए पंचायत का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

(1) पंचायत के अधीन पद धारण करने वाले किसी अधिकारी या कर्मचारी से या किसी विभाग के किसी भी अन्य जिला कार्यालय से हुई जानकारी वापसी (रिटर्न) या रिपोर्ट मंगवा सकेगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार पंचायत के कर्मचारियों की अनुपस्थिति रहने पर छुट्टी मंजूर कर सकेगा।

(3) किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने या स्थानांतरित होने के कारण अनुपस्थिति के दौरान अस्थायी रूप से उसका प्रभाव ग्रहण करने तथा पदीय कृत्यों के निर्वहन की व्यवस्था कर सकेगा।

(4) पंचायत के अधीन पद धारण करने वाले किसी अधिकारी या कर्मचारी से स्पष्टीकरण ले सकेगा।

(5) पंचायत के समस्त कियाकलपों के निष्पादन का पर्यवेक्षण करेगा तथा नियंत्रण रखेगा।

(6) पंचायत के समस्त कार्यों तथा उसकी उसकी विकास योजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक उपाए करेगा।

(7) पंचायत की ओर से सिविल या दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा या संचालित करेगा।

(8) पंचायत के अधीन पद धारण करने वाले शासकीय सेवकों के कार्यों का प्रतिवर्श निर्धारण करेगा तथा अपनी गोपनीय राय देगा तथा उसे अध्यक्ष को अग्रेशित करेगा।

(9) इस संबंध में बनाये गये वित्तीय नियमों के अनुसार पंचायत निधि से रकम निकालेगा तथा संवितरण कर सकेगा।

(10) वार्शिक विकास योजनाएं तथा बजट तैयार करेगा तथा पंचायत के लेखों से संबंधित सभी विशयों के लिए संम्मिलित स्कीमों का दक्षता पूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

(11) यथा स्थिति, जनपद या ग्राम पंचायत द्वारा अधिनियम की धारा 77 (2) के उपबंधों के अनुसार अधिनियम की अनुसूची दो वर्णित करके अधिरोपण के लिए, भेजे गए प्रत्येक प्रस्ताव का परीक्षण करेगा।

(12) पंचायत द्वारा बनाए गए समस्त विनियमों तथा उपविधियों का अपने हस्ताक्षरों के अधीन प्रकाशित करेगा।

(13) कर्त्तव्य के निर्वहन में, पंचायत कर्मचारी के कब्जे में या प्रभार में पंचायत के किसी धन या सम्पत्ति की हानि को रोकना सुनिश्चित करेगा तथा उसे पंचायत या सशक्त स्थाई समिति के समक्ष रखेगा।

(14) पंचायत द्वारा उनके किन्हीं प्राधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी किन्हीं मामलों का, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से परिक्षण करेगा तथा रिपोर्ट देगा कि प्रस्तावित कार्यवाही नियमों के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए कार्यपालिक अनुदेशों के अनुसार है।

(15) जहां जीवन को खतरा या जिले के रहवासियों की सम्मिति को प्राकृतिक विपदा द्वारा व्यापक नुकसान हुआ हो या और वहां घटित ऐसे प्रत्येक मामलों की रिपोर्ट तुरंत अध्यक्ष को देगा तथा जहां पंचायत की सम्पत्ति को कोई नुकसान हुआ हो वहां पंचायत के अनुदेशों के अधीन तुरंत कार्यवाही भी करेगा।

(16) पंचायत के लेखे तथा उसके लेखा सम परीक्षा के अनुक्रम मे ंनोटिस में लाई गई किसी त्रुटि तथा अनियमितता को दूर करने के लिए कदम उठाएगा।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी समस्त शक्तियों का भी प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसे कि उसे पंचायत द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें या राज्य सरकार द्वारा समुदेशित किये जायें।

6. पंचायत का कोई भी आदेश तब तक ही मान्य होगा जब तक की वह मुख्य पालक अधिकारी की मुद्रा एवं हस्ताक्षर के अधीन जारी किया गया हो।

7. निरसन – इस विशय पर समस्त पूर्ववर्ती नियम, म0प्र0 राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निरस्त हो जाएंगे।

जनपद पंचायत–भाग–ग (विद्यमान स्टॉफ)

क्र.	नाम कर्मचारी	बंटित कार्य
1	श्री राकेश पॅवार (उच्च श्रेणी लिपिक)	लेखाशाखा जनपद, जनसम्पर्क, इन्द्रा आवास पंचायत स्तर, अजा बस्ती, सर्वशिक्षा अभियान
2	श्री नरेन्द्र जीनवाल (उच्च श्रेणी लिपिक)	11वां वित्त, 12 वा वित्त, आयोग, एस.जी.आर.व्हाय, (जिला, जनपद) एस.जी.आर.व्हाय 22.5 प्रतिशत, विशेष घटक, स्थापना जनपद
3	श्री रविन्द्र जाधव (सहा. ग्रेड 3)	सा.सु.पे., राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, परिवार सहायता
4	श्री अजीत कुमार गायकवाड (सहा.शिक्षक) (शिक्षा विभाग से संयोजित)	लेखा विकास, स्थापना विकास,
5	श्री इकरार मंसुरी, कम्प्युटर आपरेटर	कम्प्युटर शाखा, 11सुत्रीय, पंचायत शाखा, पंचलेखा
6	श्री माधवसिह बिठौरा, वाहन चालक	वाहन चालक

विकासखण्ड –

1	श्री के.के.व्यास, उपयंत्री	आवंटित क्षैत्रानुसार निर्माण कार्यो का निरिक्षण, प्राक्कलन तैयार करना, तकनिकी मार्गदर्शन देना एवं कार्यो का मूल्यांकन
2	श्री टी.एस.चौहान, उपयंत्री	–''–
3	श्री सुनिल शर्मा, उपयंत्री	–''–
4	श्री एम.के.गुप्ता, सहायक विकास विस्तार अधिकारी	बैंक ऑफ इंडिया पानबिहार के अतिरिक्त विकासखण्ड मे एस.जी.एस.व्हाय शाखा का कार्य
5	श्री श्रीधर देसाई,	1. **S.B.I.** जैथल 2. RRB चिमनगंज मण्डी
6	श्री बी.एल.परमार	1. **RRB** रूई 2. **BOI** भैरवगढ़
7	श्री रामबाबू शर्मा	1. **RRB**. दानीगेट 2. **SBI** बुधवारिया
8	श्री जितेन्द्र कुशवाह	जनपद पंचायत उज्जैन मे संयोजित
9	श्री गणेशलाल भट्ट	जिला पंचायत उज्जैन मे संयोजित
10	श्री सुरेशचन्द्र द्विवेदी	1. UCO बिछड़ोद 2. BOI घटिया (मूल पदस्थापना जनपद पंचायत महिदपुर)
11		

जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी –

क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	जाति	जन्मतिथि	मूल निवास का पता	वर्तमान पता	पत्र व्यवहार का पता
1	श्री राकेश पॅवार	लेखापाल	सामा.	13.3.65	बड़नगर	हायर सेकण्डरी वि.के पास घटिया	जनपद पंचायत घटिया
2	श्री नरेन्द्र जीनवाल	सहा. ग्रेड–2	अजा		अलखधाम नगर उज्जैन	विकासखण्ड कालोनी घटिया	जनपद पंचायत घटिया
3	श्री रविन्द्र जाधव	सहा.ग्रेड 3	सामान्य		के.डी.गेट उज्जैन	––''––	जनपद पंचायत घटिया
4	श्री इकरार मंसुरी	कम्प्युटर आपरेटर	पि.वर्ग		पुराना नवोदय विद्यालय घटिया	पुराना नवोदय विद्यालय घटिया	जनपद पंचायत घटिया
5	श्री माधवसिह बिठौरा	वाहन चालक	अजा		नागझिरी उज्जैन	विकासखण्ड कालोनी घटिया	जनपद पंचायत घटिया
6	श्री बद्रीलाल प्रजापत	भृत्य	पि.वर्ग		घटिया	घटिया	जनपद पंचायत घटिया
7	श्री बापूनाथ योग	खल्लासी	पि.वर्ग		ढाबलागौरी	घटिया	जनपद पंचायत घटिया

(विकासखण्ड)जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी –

क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	जाति	जन्मतिथि	मूल निवास का पता	वर्तमान पता	पत्र व्यवहार का पता
1	श्री एम.एस.ठाकुर	मु.का. अधि.	सामान्य	05.02.60	ग्राम कलापिपलिया तहसील महिदपुर	विकासखण्ड कालोनी घटिया	47 इन्द्रा नगर उज्जैन
2	श्री के.एन.खत्री,	पी.एस.ई.ओ	सामान्य	07.08.53	सोनकच्छ जिला देवास	विकासखण्ड कालोनी घटिया	18 अ/10 बसन्त विहार उज्जैन
3	श्री गिरीश शर्मा	सह.वि. अधि	सामान्य	20.10.58	आगर मालवा जिला शाजापुर	संयुक्त पंजीयक सह. सं. उज्जैन	3शिवम् परिसर हरिफाटक रोड़ नानाखेड़ा उज्जैन
4	श्री व्ही.एल.राठौर	ख.स्त. अन्वेषक	अजा	01.09.70	ग्राम पचोला, तहसील तराना	73 किर्तिनगर सावेर रोड़ उज्जैन	73 किर्तिनगर सावेर रोड़ उज्जैन
5	श्री के.के.व्यास	उपयंत्री	सामान्य	03.05.54	शास्त्रीनगर उज्जैन	शास्त्रीनगर उज्जैन	शास्त्री नगर उज्जैन
6	श्री टी.एस.चौहान	उपयंत्री	सामान्य	04.04.57	ग्राम टुकराल तह.तराना	विकासखण्ड कालोनी घटिया	ग्राम टुकराल, तह.तराना

7	श्री सुनील शर्मा	उपयंत्री	सामान्य				
8	श्री एम.के.गुप्ता	स.वि.वि. अधि.	सामान्य	19.07.61	ग्राम बर्डिया सोन जिला शाजापुर	ग्राम पानबिहार, तहसील घटिया	277 अलखधाम नगर उज्जैन
9	श्री बी.एल.परमार	स.वि.वि. अ.	अजा	02.07.58	पाट, तहसील तराना, जिला उज्जैन	रूई	16 विराट नगर उज्जैन
10	श्री श्रीधर देसाई	स.वि.वि. अ.	सामान्य	28.10.63	118 निकास चौराहा, बुधवारिया उज्जैन	जैथल	118 निकास चौराहा, बुधवारिया उज्जैन
11	श्री रामबाबू शर्मा	स.वि.वि. अ.	सामान्य	15.10.58	गढ़ा, जिला गुना	अम्बोदिया	सी 1/28 एल. आई.जी. ऋशिनगर उज्जैन
12	श्री जितेन्द्र कुशवाह	स.वि.वि.अ	सामान्य				
13	श्री भेरूलाल डाबी	भृत्य	अजा	02.04.74	जलवा	घटिया	घटिया
14	श्री रामप्रसाद चौहान	चोकीदार	पिछड़ा		घटिया	घटिया	घटिया

अध्याय तीन

निर्णय लेने की प्रकिया, जबाबदेही एंव पर्यवेक्षण

त्रिस्तरीय पंचायते एवं ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय स्वायत शासी संवैधानिक संस्थाये है। इनके कामकाज निष्पादन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिनियम एवं नियम निर्मित एवं प्रभावशील है। पंचायतराज संस्थाओं में सभी स्तर पर निर्वाचित पदधारी है। इनके द्वारा सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओ को बनाने और निर्णय लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के सपूर्ण अधिकार निकायों को है। निकायेा के निर्णय सामान्य सभा एवं इनकी स्थायी समितियों के माध्यम से सर्वसम्मति / बहुमत के आधार पर लिये जाते है। पंचायतो में किसी एक व्यक्ति को निर्णय लेने का प्रावधान नही है। यदि पंचायतराज संस्थाऐं कोई विधि विपरीत संकल्प पारित करती है या आदेश जारी
करती है तो म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 85 तथा धारा 91 में
कार्यवाही करने का प्रावधान उल्लेखित है। 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू कर ग्राम सभा को गांव के हित में निर्णय लेने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई का स्थान दिया गया। प्रत्येक गॉव के लिए एक स्वतंत्र ग्रामसभा गठित हुई । प्रत्येक ग्राम सभा में दो स्थायी समितियां गठित किए जाने एवं आवश्यकतानुसार तदर्थ समिति के गठन का प्रावधान किया गया हैं । इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा के सभी वयस्क पुरूश एवं महिलाओं की सत्ता एवं सार्वजनिक कार्य व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो रही है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीधे प्रजातंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित कर लगभग 3 करोड़ मतदाताओं को ग्रामवासियों के हित को प्रभावित करने वाले मुददों पर निर्णय लेने का अधिकार उपलब्ध हुआ है । ग्रामसभा अपने क्षेत्र के विकास संबंधी दीर्घकालीन कार्य योजनाए स्वंय तैयार कर रही है एवं अपने क्षेत्र का विकास की प्राथमिकता भी स्वंय तय कर कार्य करा रही है ।

पंचायतों की कार्य प्रणाली में सामूहिक निर्णय और लोकतंत्र की भावना अनुसार व्यवस्था की गई है। पंचायतों द्वारा लिया गया निर्णय किसी व्यक्ति या पदधारी की इच्छानुसार न होकर संपूर्ण संस्था की मंशा अनुसार लिया जाता है। जिसमें पारदर्शिता को पूरा–पूरा स्थान मिला है।

....

अध्याय चार

कर्तव्यो के निर्वहन संबंधी मापदण्ड

अधिनियम एवं नियमों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं जवावदेही विर्निदिष्ट है तथापि दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही वरतने वाले कर्मचारियों के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए म.प्र.पंचायतराज अनुशासन नियम लागू है जिनके तहत कार्यवाही की जाती है ।

अधिकार एवं कृत्य –

जनपद पंचायत

1. एकीकृत ग्रामीण विकास, कृशि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ शिक्षा, संचार और लोक संकर्म सहकारिता, कुटिर उद्योग, महिला, युवा तथा बाल कल्याण, निःशक्तों तथा निराश्रितों का कल्याण और पिछडे वर्गो का कल्याण, परिवार नियोजना तथा खेलकूद तथा ग्रामीण रोजगार कार्यकम।
2. आग, बाढ,सूखा,भूकंप,दुर्भिक्ष,टिडडी दल, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना।
3. स्थानीय तीर्थ यात्राओं तथा त्यौहारों के संबंध में व्यवस्था करना।
4. सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध करना।
5. सार्वजनिक बाजारों, सार्वजनिक मेलों तथा प्रदर्शनियों का प्रबंध करना।
6. राज्य सरकार या जिला सरकार द्वारा उसे सौंपी गई आर्थिक विकास और न्याय की स्कीमों के संबंध में वार्शिक योजना तैयार करना और उसे जिला पंचायत की योजना में सम्मिलित करना।
7. समस्त ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायत के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्कीमों के संबंध में वार्शिक योजनाओं पर विचार करना और उसे समेकित करना तथा जिला पंचायत को भेजना।
8. जनपद पंचायत निधि में से हाथ में लिये जाने वाले संकर्मों और विकास स्कीमों की योजना तैयार करना और इन्फ्रास्ट्रक्चर को हाथ में लेना।
9. पंचायत निधि में से विकास की स्कीमों के संकर्मों को मंजूर करना, उनका पर्यवेक्षण करना, मानिटर करना और प्रबंध करना तथ इस प्रयोजन के लिये पंचायत निधि में से खर्च उपगत करना।
10. केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा सौंपी गई स्कीमों,संकर्मों, परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।
11. ग्राम पंचायतों के माध्यम से या निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे संकर्मों, स्कीमों कार्यकमों और परियोजनओं को जो उसे अंतरित की गई है उसे लागू करना, निष्पादित करना, पर्यवेक्षण करना, मानिटर करना तथा प्रबंध करना।
12. जनपद पंचायत के लिये यदि काई विशेश संकर्म आवश्यक हो तो उन्हें प्रारंभ करने के लिये जिला पंचायत को सिफारिश करना ।
13. जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनका मार्गदर्शन करना।
14. केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा नियत किए गए मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायतों को पुनः आंवटित करना।
15. संसाधन जुटाने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना।
16. राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन या निर्देशों से अन्य कृत्यों का पालन करना जो जनपद पंचायत को सौंपे जाए।

अध्याय पॉच
अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन संबंधी
अधिनियम,नियम, विधिया, उपविधिया, तथा आदेश, निर्देश

जनपद पंचायत के कृत्य :–

(1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और ऐसे साधारण या विशेश आदेशों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएं, अध्यधीन रहते हुए, जनपद पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह जहाँ तक जनपद पंचायत निधि में गुंजाइश हो, खंड में निम्नलिखित कार्य के लिये युक्तियुक्त व्यवस्था करें :–

क. एकीकृत ग्रामीण विकास, कृशि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन,स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक संकर्म, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला युवा तथा बाल कल्याण, निःशक्तों तथा निराश्रितों का कल्याण और पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन तथा खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यकम;

ख. आग, बाढ़. सूखा, भूकम्प, दुर्भिक्ष, टिड्डीदल, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना;

ग. स्थानीय तीर्थयात्राओं तथा त्यौहारों के संबंध में व्यवस्था करना;

घ. सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध करना;

ड. सार्वजनिक बाजारों सार्वजनिक मेलों तथा प्रदशर्नियों का प्रबंध करना; और

च. राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य करना।

(1–क) इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी नीतियों, निदेशों, अनुदेशों, साधारण या विशेश आदेशों के जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएं अध्ययीन रहते हुए जनपद पंचायत के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:–

(एक) इस अधिनियम द्वारा उसे सौंपी गई तथा राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा उसे सौंपी गई आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के संबंध में वार्शिक योजना तैयार करना और उसे जिला पंचायत की योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए विहित समय के भीतर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना;

(दो) समस्त ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायत के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्कीमों के संबंध में वार्शिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समेकित करना और समेकित योजना को जिला पंचायत को प्रस्तुत करना ;

(तीन) जनपद पंचायत निधि में से हाथ में लिए जाने वाले संकर्मों और विकास स्कीमों की योजना तैयार करना;

(चार). जनपद पंचायतों के भीतर की क्षेत्रीय योजना तथा अवसंरचनात्मक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास को हाथ में लेना;

(पांच) पंचायत निधि में से विकास स्कीमों के संकर्मों को मंजूर करना, उनका पर्यवेक्षण करना, मानीटर करना और प्रबंध करना तथा इस प्रयोजन के लिये पंचायत निधि में से खर्च उपगत करना;

(छह) किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या जो उसे केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा सौंपी गई हों ऐसी स्कीमों, संकर्मों परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना;

(सात) ग्राम पंचायतों के माध्यम से या निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे संकर्मों, स्कीमों, कार्यकमों और परियोजनाओं को, जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरित की गई हैं, लागू करना, निष्पादित करना, पर्यवेक्षण करना, मानीटर करना तथा प्रबंध करना;

(आठ) जिला पंचायतों को ऐसे संकर्मों या विकास स्कीमों के संबंध में विचार करने के लिये, जिन्हें जिला पंचायत द्वारा खण्ड में प्रारंभ किया जा सकता है, सिफारिश करना और वह सीमा उपदर्शित करना जहां तक कि ऐसे संकर्मों या स्कीमों के लिए स्थानीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं;
(नौ) खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनका मार्गदर्शन करना;
(दस) ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों या अन्य संकर्मों का जो खण्ड में की दो या अधिक ग्राम पंचायतों के साझे के हों, निष्पादन सुनिश्चित करना;
(ग्यारह) अंतरित की गई स्कीमों, संकर्मों तथा परियोजनाओं के संबंध में, केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों को यथास्थिति, केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा नियत किए गए मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायत को पुनः आवंटित करना;
(बारह) किसी विधि द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उसकों सौपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसाधन जुटाने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करना;
(तेरह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।,
(2) जनपद पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर यथास्थिति सामुदायिक विकास खंड या आदिम जाति विकास खंड के प्रशासन का नियंत्रण तथा पर्वेक्षण करेगी और ऐसे खंडों को राज्य सरकार द्वारा सौपे गये कृत्य तथा सौंपी गई स्कीमों का कियान्वयन जनपद पंचायत के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए जाएं।

राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत, को सौंपा जाना –
(1) राज्य सराकर ऐसे किसी विशय के संबंध में, जिस पर राज्य सरकार का कार्यपालिक प्राधिकार है या ऐसे कृत्यों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गये हैं, कोई कृत्य जनपद पंचायत या जिला पंचायत , को सौंप सकेगी और जनपद पंचायत या जिला पंचायत, ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिये बाध्य होगी, ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिये उसे आवश्यक शक्तियां होंगी।
(2) जहां (जनपद पंचायत या जिला पंचायत) को उपधारा (1) के अधीन कृत्य सौंपे जाते हैं, वहां (जनपद पंचायत या जिला पंचायत) उन कृत्यों का निर्वहन करने में राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी।
(3) राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत को ऐसी राशि संदत्त की जाएगी जो इस धारा के अधीन जनपद पंचायत या जिला पंचायत , को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझी जाए।
(4) जनपद पंचायत या जिला पंचायत , इस धारा के अधीन उसे सौंपे गये उन कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के साधारण नियंत्रण के अधीन रहेगी और ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो समय–समय उप उसे दिये जाएं।

जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अधिकमण –
(1) जो कोई, जनपद पंचायत में निहित किसी सड़क, मार्ग, भूमि, भवन या संरचना पर कोई परिनिर्माण करेगा या अधिकमण करेगा या कोई बाधा खड़ी करेगा, दोशसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रूपये, तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी बाधा या अधिक्रमण हटाने की शक्ति होगी और इस प्रकार हटाये जाने के व्ययों का संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने उक्त बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है तथा उसके द्वारा संदाय न किया जाने पर उसे भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा : परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने पूर्व, लिखित सूचना द्वारा, उस व्यक्ति से, जिसने ऐसी बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा ले या इस संबंध में कारण दर्शित करे कि उसे क्यों न हटा दिया जाए।

(3) इस धारा में की कोई बात, किसी जनपद पंचायत को त्यौहारों तथा अवसरों पर ऐसी कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, उपधारा (1) में उल्लिखित स्थानों का, ऐसी रीति में जिससे जनता को या किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, अस्थायी रूप से अधिभोग करने या उस पर कोई परिनिर्माण करने की अनुज्ञा देने से निवारित नहीं करेगा।

समझौता करने की शक्ति – पंचायत, विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से, किसी ऐसे वाद के संबंध में जो उसके द्वारा या उसके विरूद्ध संस्थित किया गया है, या किसी ऐसे दावे या मांग के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा की गई किसी संविदा से उद्‌भूत है, समझोता ऐसे निबंधनों पर कर सकेगी जो वह उचित समझे।

पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति

राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी –

(1) राज्य सरकार,अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, ऐसी किसी संपत्ति को, जो राज्य सरकार में निहित हो, यथास्थिति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत में निहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन पंचायत में निहित की गई किसी संपत्ति का पुनर्ग्रहण कर सकेगी, ऐसे अंतरण के लिए, पंचायत द्वारा संदत्त की गई रकम या पंचायत द्वारा ऐसी संपत्ति पर परिनिर्मित किसी भवन या निष्पादित किए गए किसी संकर्म के उस बाजार मूल्य से जो पुनर्ग्रहण की तारीख को हो, से भिन्न कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। परन्तु निहित किये जाने के निर्बन्धनों तथा उसकी शर्तों के उल्लंघन में निर्मित या परिनिर्मित किए गए भवन, संरचना या संकर्मों के संबंध में कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

पंचायत की निधियों का समनुदेशन – राज्य सरकार, ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों ओर सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार ठीक समझे, किसी भी पंचायत को राज्य सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, पथ कर तथा फीस समनुदेशित कर सकेगी और राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान दे सकेगी।

पंचायत को सहायता अनुदान – राज्य सरकार, पंचायतों को ऐसी सहायता अनुदान देगी जैसा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चित किया जाए।

स्थावर संपत्ति का अंतरण – (1) किसी पंचायत में निहित या पंचायत की किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय, दान बंधक या विनिमय द्वारा या तीन वर्श से अधिक कालावधि के लिए पट्‌टे द्वारा या अन्यथा कोई अंतरण, राज्य सरकार की या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अधिकारी की मंजूरी से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) स्थावर संपत्ति के अंतरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

पंचायत निधि – (1) प्रत्येक पंचायत, एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी ओर पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि का भाग होंगी।

(2) पंचायत में निहित समस्त संपत्ति और पंचायत निधि का इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपयोजन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए साधारणतः पंचायतों के विकास संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित अन्य

प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य व्यय के लिये किया जाएगा जो राज्य सरकार किसी पंचायत के आवेदन पर या अन्यथा लोकहित में अनुमोदित करे। पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने या उपखजाने या डाकघर या सरकारी बैंक या अनुसूचित
बैंक या उसकी शाखा में रखी जाएगी।
(3) राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कार्य या प्रयोजन के लिए पंचायत को आवंटित किसी राशि का उपयोग केवल उसी कार्य या प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार इस संबंध मं साधारणतः या विशेशतः जारी करे।
(4) पंचायत निधि में से समस्त रकमें –
(एक) ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से,
(दो) यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया हो, हस्ताक्षर से, निकाली जाएंगी, परन्तु जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में समस्त रकमें केवल, वार्शिक बजट के अनुसार विस्तृत कार्य योजना की व्यवस्था करने के प्रयोजनों हेतु यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के पूर्व अनुमोदन से ही निकाली जाएंगी परन्तु यह और भी कि पंचायत निधि में की समस्त प्राप्तियों तथा पंचायत निधि में से समस्त आहरण से संबंधित जानकारी पंचायत के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में रखी जाएगी।
(5) (6) लुप्त
संविदा निष्पादित करने का ढंग – पंचायतों द्वारा संविदाओं को निष्पादित करने का ढंग ऐसा होगा जो विहित किया जाए।
सहायता अनुदान देने की शक्ति – पंचायत, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिए सहायता अनुदान दे सकेगी।

सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति –
(1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी ग्राम पंचायत के लिये या एक से अधिक ग्राम पंचायतो के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकेगा; परन्तु इस अधिनियम के प्रवृतत होने के ठीक पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति, इस धारा के अनुसार सचिव की नियुक्ति हो जाने तक, उस रूप में कृत्य करता रहेगा, परन्तु यह ओर भी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा यदि व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का नातेदार है;
स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''नातेदार'' का अर्थ है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र पुत्री, श्वसुर, सास, साला, बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्रवधु। ,
(2) राज्य सरकार प्रत्येक जनपद पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्ति करेगी और एक या उससे अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाएं।,
(3) राज्य सरकार प्रत्येक जिला पंचायत के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियुक्त करेगी और एक या अधिक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समनुदेशित किए जाएं। ,

अधिसूचना अधिसूचना क. एफ. 3–3–96–बाईस–पं.–2 दिनांक 2 फरवरी, 1998 – मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिला उप–संचालक, पंचायत तथा समाज कल्याण को, संबंधित जिले की जिला पंचायत का पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।
(म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2.2.98 पृष्ठ 64 (3) पर प्रकाशित)
(4) ग्राम पंचायत के सचिव या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी , की छुट्टी, सेवानिवृत्त या मृत्यु या त्यागपत्र के कारण या अन्यथा अनुपस्थिति के दौरान, विहित प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र, यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी , के पद का कार्य चलाने के लिए ऐसा इंतजाम करेगा जैसा वह उचित समझे। कोई व्यक्ति ऐसे पद कार्य करते समय उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, को प्रदत्त की गयी है।
(5) ग्राम पंचायत का सचिव जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अभिलेखों को रखने और उनके बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
धारा –70. पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक –
(1) प्रत्येक पंचायत धारा 69 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी जिन्हें वह अपने कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
(2) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं भरती की पद्धति, वेतन, छुट्टी, भत्ते, तथा सेवा की अन्य शर्तें जिनमें अनुशासनिक मामले सम्मिलित हैं, ऐसी होंगी जो विहित की जाए।
धारा –71. शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति –
राज्य सरकार अपने ऐसे सेवकों को जिन्हें वह आवश्यक समझे, पंचायत की सेवा में प्रतिनियुक्ति कर सकेगी। ऐसे प्रतिनियुक्त सेवकों की सेवा शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, विहित की जाये।
धारा –72. मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य – ग्राम पंचायत के सचिव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा (जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी) के कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।
धारा –75. खण्ड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क – उन लिखतों पर, जो खण्ड के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति के विकय, दान या बंधक से संबंधित हों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क में, ऐसी सम्पत्ति के मूल्य पर या बंधक की दशा में उस रकम पर, जो लिखत द्वारा प्रतिभूत की गई है, एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, परन्तु बन्धक के संबंध में उद्ग्रहीत किया गया ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उस पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा : परन्तु यह और भी की ऐसी लिखने के संबंध से जिसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा।
धारा – 76. जिला पंचायत राज निधि –
(1) जिला स्तर पर ''जिला पंचायत राज निधि'' के नाम से एक पृथक निधि (जो इसमें इसके पश्चात ''उक्त निधि'' के नाम से निर्दिष्ट है) गठित की जाएगी ओर उसे ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, चलाया जाएगा।

(2) धारा 77 की उपधारा (3) के अधीन विकास कर और उसके साथ ऐसे अन्य कर,शुल्क, पथकर, फीस तथा अन्य प्राप्तियां जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं के आगम, उसमें से ऐसे वसूली प्रभारों की, जैसे कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, कटौती करने के पश्चात् उक्त निधि में जमा किए जाएंगे।,
(3) धारा 75 के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, जमा किए जाएंगे और राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्श के प्रारम्भ होने पर, यदि विधानसभा द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध किया जाए, राज्य की संचित निधि में से ऐसी रकम निकाल सकेगी जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्श में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये आगमों के बराबर होगी।
धारा – 76–क. रकम का पंचायतों के बीच संवितरण– (1) (2) लुप्त (3) किसी जनपद पंचायत क्षेत्र से धारा 77 की उपधारा (3) के अधीन उगाहा गया विकास कर संबंधित जनपद पंचायत और उस जनपद पंचायत के भीतर की ग्राम पंचायतों को, ऐसे अनुपात में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अंतरित किया जाएगा।
(4) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से संबंधित रकम जनपद पंचायतों को सहायता अनुदान के रूप में, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि इस निमित्त बनाए जाएं, दी जाएगी।
(5) निधि में जमा की गई धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अन्य करों, शुल्कों, पथकरों, फीस तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित रकम पंचायतों के बीच, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, संवितरित की जाएगी।
धारा –77. अन्य कर – (1) इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों और अपवादों जो विहित किए
जाएं, अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट कर अधिरोपित करेगी।
(2) जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत, और जिला पंचायत के पूर्व अनुमोदन से जनपद पंचायत, अनुसूची –2 में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर अधिरोपित कर सकेगी।
(3) जनपद पंचायत कृशि भूमि पर विकास कर उद्गृहीत कर सकेगी। इस प्रकार उद्गृहीत कर उसी रीति में देय होगा जिस रीति में भू–राजस्व देय होता है।
77.–क. कर अधिरोपित करने की शक्ति – (1) इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों और अपवादों के जो कि विहित किए जाएं अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम सभा अनुसूची 1–क में विनिर्दिष्ट करों को अधिरोपित करेगी।
(2) ग्राम सभा, अनुसूची 2–क में विनिर्दिष्ट कोई भी कर अधिरोपित कर सकेगी।,

धारा –84. पंचायतों के कार्य का निरीक्षण –
(1) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हैं, ऐसे निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जायें, किसी पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकेंगे।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, पंचायतों का निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो विहित की जायें।
(3) पंचायत के पदधारी और अधिकारी तथा सेवक ऐसी समस्त जानकारी देने तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए।
धारा –85. आदेशों आदि का निष्पादन, निलंबित करने की शक्ति –
(1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों से, पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प के, जारी किए गए किसी आदेश, या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या किसी पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को प्रतिशिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय में –

क. ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य वैध रूप से पारित, जारी मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है/नहीं की गई है, या
ख. ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है या किसी विधि के प्रतिकूल है, या
ग. ऐसे संकल्प या आदेश के निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लगातार
प्रवृत्त बने रहने से या ऐसा कार्य किए जाने से –
(एक) पंचायत में निहित किसी धन की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयेाग होना या उसमें निहित किसी संपत्ति को नुकसान होना संभाव्य है;
(दो) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;
(तीन) जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ होना संभाव्य है; या
(चार) शांति भंग होना संभाव्य है।
(2) जब कभी विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो वह तत्काल और प्रत्येक दशा में आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर, उस आदेश की एक प्रति और उसके साथ उसके किए जाने के कारणों का विवरण राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किये गये अधिकारी को अग्रेशित करेगा और राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गये अधिकारी ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे अपास्त कर सकेगा, उसे पुनरीक्षित कर सकेगा या उसे उपान्तरित कर सकेगा, या यह निदेश दे सकेगा कि वह आदेश उपान्तरण सहित या उसके बिना स्थायी रूप से ऐसी कालावधि के लिए, जैसी वह ठीक समझे, प्रवृत्त बना रहेगा, परन्तु विहित, प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश, राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा तब तक पुष्ट,अपास्त, पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित पंचायत को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।
धारा –88. पंचायत के कार्यकलापों की जांच – राज्य सरकार, समय–समय पर, अपने किन्हीं अधिकारियों द्वारा किसी पंचायत की जांच, उससे संबंधित विशयों के बारे में या किसी ऐसे विशय के बारे में, जिसके संबंध में राज्य सरकार की मंजूरी, अनुमोदन, सम्मति या आदेश इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित है, करवा सकेगी।
धारा –91. अपील और पुनरीक्षण– इस अधिनियम के अधीन पंचायतों के तथा अन्य प्राधिकारियों के
आदेशों या कार्यवाहियों के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति में होगा जैसा विहित किया जाय।
धारा –92. अभिलेख और वस्तुयें वापस कराने तथा धन वसूल करने की शक्ति – (1) जहां विहित प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति , का कोई अभिलेख या वस्तुयें या धन अपनी अभिरक्षा में अप्राधिकृत रूप से रखे हुये है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तुयें या धन, ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जिसे विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करे, पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति , को तुरन्त परिदत्त या संदत्त कर दिया जाए।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्देशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तुये परिदत्त नहीं करता है या धन का संदाय नहीं करता या ऐसा करने से इंकार करता है तो विहित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और उसे वारंट के साथ, जो ऐसे प्रारूप में होगा, जो विहित किया जाए, सिविल जेल में 30 दिन से अधिक न होने वाली कालावधि के लिए परिरूद्ध रखे जाने के लिए भेज सकेगा।
(3) विहित प्राधिकारी–

(क) कोई ऐसा धन वसूल करने के लिये यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा धन–भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाए और
(ख) किसी ऐसे अभिलेख या किन्ही ऐसी वस्तुओं को वापस कराने के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन विधिपूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती हों।
(4) उपधारा (1) या (2) या (3) के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाए।
(5) केोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध इस धारा के अधीन केोई कार्यवाही की जाती है, ऐसी कार्यवाही आरम्भ की जाने से छह,वर्श की कालावधि के लिए, किसी पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति, का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा।
धारा –93. शक्तियों का प्रत्यायोजन – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम द्वारा या
उसके अधीन उसे प्रदत्त समस्त या किन्हीं शक्तियेां को, नियम बनाने संबंधी शक्तियों के सिवाय, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को या किसी पंचायत को प्रत्यायेाजित कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए साधारण या विशेश आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों को विहित कर सकेगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिसूचना भोपाल, दिनांक 5 मार्च 1994 कमांक 309–126–बाईस–पं–2–94 मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 (क 1 सन् 1994) की धारा 93 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (इक्कीस) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ओर इस विभाग की अधिसूचना क 1919–837–बाईस–पं–2–90 दिनांक 31 जुलाई 1990, कमांक 2101–837–बाईस–पं–2–90, दिनांक 25 अगस्त 1990 क. 2436–837–बाईस–पं–2–90, दिनांक 26 सितम्बर 1990 तथा क. 36–1270–बाईस–पं. –2–90 दिनांक 8 जनवरी 1991 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्व्दारा, यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कालम(2)में वर्णित अधिकारी या प्राधिकारी उसके कालम (3)की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित की गई उक्त अधिनियम की धाराओं के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करेगें –
सारणी
अनु.क. अधिकारी या प्राधिकारी धारा (1) (2) (3) (4) 1 कलेक्टर 13(4)(एक)तथा (6) 2 पंचायत तथा समाज शिक्षा संगठक, 12 मुख्यकार्यपालनअधिकारी, जनपदपंचायत 39(1) (2) 2. जनपद पंचायत के सदस्य. अध्यक्ष, तथा उपाध्यक्ष के लिए कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 39(1) जनपद पंचायत के सदस्य.अध्यक्ष, तथा उपाध्यक्ष संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त 39(2) 3.जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के लिए राज्य शासन 39(2)
27(1) ग्राम पंचायत के लिए– उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) 40(1)
(2) जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 40(1)
(3) जिला पंचायत के लिए– संभागीयआयुक्त /अतिरिक्त आयुक्त 40(1)
28 कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 41
29(1) ग्राम पंचायत के लिए– उपखण्ड अधिकारी 45
(2) जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 45
(3) जिला पंचायत के लिए– संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त 45
30(1) जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 47(2)
(2) जिला पंचायत के लिए संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त 47(2)

31 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) 55(4)
32 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) 59
33(1) ग्राम पंचायत के लिए उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) 61
(2) जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर /अतिरिक्त कलेक्टर 61
(3) जिला पंचायत के लिए– संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त 61
33ए(1) ग्राम पंचायत के लिए कलेक्टर /अतिरिक्त कलेक्टर 65
(2) जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर /अतिरिक्त कलेक्टर 65
(3) जिला पंचायत के लिए– आयुक्त /अपर आयुक्त 65
34(1) ग्राम पंचायत के लिए उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) 68
(2) जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर /अतिरिक्त कलेक्टर 68
(3) जिला पंचायत के लिए संभागीयआयुक्त /अतिरिक्त आयुक्त 68
35 कलेक्टर 69(1)
36(1) ग्राम पंचायत के लिए कलेक्टर 69(4)
(2) जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 69(4)
(3) जिला पंचायत के लिए– संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त 69(4)
37(1) ग्राम पंचायत के लिए कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 70(1)
(2) जनपद पंचायत के लिए संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त 70(1)
(3) जिला पंचायत के लिए राज्य सरकार 70(1)
38(1) ग्राम पंचायत के लिए जिला उप संचालक,पंचायत 73(3)
(2) जनपद पंचायत के लिए जिला उप संचालक पंचायत 73(3)
(3) जिला पंचायत के लिए– संचालक,पंचायत एंव समाज कल्याण 73(3)
39(1) ग्राम पंचायत के लिए– उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) 79
(2) जनपद पंचायत के लिए– कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 79
142
40(1) ग्राम पंचायत के लिए– उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) 85(1)
(2) जनपद पंचायत के लिए– कलेक्टर 85(1)
(3) जिला पंचायत के लिए– संभागीय आयुक्त 85(1)
40 अ ग्राम पंचायत के लिए– कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 85(2)
जनपद पंचायत के लिए– संभागीय आयुक्त/अति. आयुक्त 85(2)
जिला पंचायत के लिए– राज्य शासन 85(2)
41(1) ग्राम पंचायत के लिए– कलेक्टर /अतिरिक्त कलेक्टर 86(1)(2)
(2) जनपद पंचायत के लिए– कलेक्टर 86(1)(2)
(3) जिला पंचायत के लिए– संभागीयआयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त 86(1)(2)
42(1) ग्राम पंचायत के लिए– संचालक,पंचायत एंव समाज कल्याण 87(1)तथा (3)(ख)
(2) जनपद पंचायत के लिए– संचालक,पंचायत एंव समाज कल्याण 87(1)तथा (3)(ख)
(3) जिला पंचायत के लिए– संचालक,पंचायत एंव समाज कल्याण 87(1)तथा (3)(ख)
43 कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर 89(1)
44(1) ग्राम पंचायत के लिए– उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) 92(1)(2)तथा (3)
(2) जनपद पंचायत के लिए– कलेक्टर /अतिरिक्त कलेक्टर 92(1)(2)तथा (3)
(3) जिला पंचायत क`लिए– संभागीय आयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त

92(1)(2)तथा (3)
45(1) ग्राम पंचायत के लिए– जिला उप संचालक, पंचायत 96 (3)
(2) जनपद पंचायत के लिए– संभागीय संयुक्त संचालक पंचायत 96(3)
(3) जिला पंचायत– संचालक पंचायत एंव समाज कल्याण 96 (3)
46(1) ग्राम पंचायत के लिए– जिला उप संचालक, पंचायत 100
(2) जनपद पंचायत के लिए– संभागीय संयुक्त संचालक पंचायत 100
(3) जिला पंचायत के लिए– संचालक, पंचायत एंव समाज कल्याण 100
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार व्ही.एस.निरन्जन, उप सचिव

94. नियंत्रण की साधारण शक्ति – इस अधिनियम से या उसके अधीन बनाये गये नियमों से संबंधित समस्त विशयों में वे समस्त अधिकारियों, जो इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन कार्य करने के लिए सशक्त है, उसी प्राधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन होंगे जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वे सामान्यतः अपने पद के कृत्यों का पालन करते हैं।

नियम और उपविधियां

धारा –95. नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में उन समस्त या किन्हीं विशयौं के लिए उपबन्ध हो सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाना या उपबन्धित किया जाना अपेक्षित है।

(3) समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे।

(4) समस्त नियम विधानसभा पटल पर रखे जायेंगे।

(5) कोई नियम बनाते समय, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि उसका भंग, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो, कर सकेगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोशसिद्धि के पश्चात से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, पांच रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा –96. उपविधियां – (1) पंचायत या ग्राम सभा, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपविधियां बनाते समय पंचायत या ग्राम सभा , यह निर्देश दे सकेगी कि उसका भंग, जुर्माने से जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले भंग की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोशसिद्धि के पश्चात से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान भंग चालू रहता है, पांच रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई उपविधि तब तक प्रवृत्त नहीं होगी जब तक कि विहित प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जाए।

(4) उपविधियां बनाने तथा उनके अनुमोदन की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

धारा – 97. आदर्श (मॉडल) उपविधियां – (1) राज्य सरकार, पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए समय
समय पर आदर्श उपविधियां बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार किसी {पंचायत या ग्राम सभा} को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसी आदर्श उपविधियों को इस प्रकार उपांतरित करते हुए, जिससे वे स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो सकें अंगीकार करें।

(3) यदि पंचायत या ग्राम सभा उपधारा (2) के अधीन निर्देशों का पालन छह माह के भीतर नहीं करती है, तो भारतीय सरकार ऐसी पंचायत या ग्राम सभा, को ऐसी आदर्श उपविधियां लागू कर सकेगी।

(4) धारा 96 की उपधारा (4) के उपबंध इस धारा के अधीन उपविधियों को अंगीकार किए जाने या उनके लागू किए जाने के संबधं में लागू होंगे।

शास्ति

धारा –98. निरर्हित हो जाने पर पंच, सदस्य, सरपंच, उप–सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिए शास्ति (1) जो कोई यह जानते हुए कि वह किसी पंचायत के पंच या सदस्य का पद धारण करने का हकदार नहीं है या उस रूप में पद धारण करने का हकदार नहीं रह गया है। ऐसे पंच या सदस्य की हैसियत से कार्य करेगा दोशसिद्धि पर जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको वह ऐसे पंच या सदस्य की हैसियत से बैठता है या मत देता है, पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए कि वह सरपंच या उप सरपंच, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, का पद धारण करने का हकदार नहीं है या उस रूप में ऐसा पद धारण करने का हकदार नहीं रह गया है, उस हैसियत से कार्य करेगा, दोशसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसको वह उस हैसियत में कार्य या कृत्य करेगा, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जिसकी पदावधि का अवसान हो गया है या उसने त्यागपत्र दे दिया है या जिसके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया है या जिसे पंचायत के किसी पद से हटा दिया है, अपने कब्जे या नियंत्रण में के ऐसे किसी अभिलेख, वस्तु या धन, या अन्य सम्पत्ति, जो पंचायत में निहित है या पंचायत की है, अपने पदोत्तरवर्ती को तत्काल नहीं सौंपेगा, वह दोशसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

धारा – 99. हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियां – जो कोई किसी ऐसे मामले में जो पंचायत के विचाराधीन हो हितबद्ध होते हुए उस मामले में मत देगा, दोशसिद्धि पर, जुर्माने
से जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

धारा – 100. किसी सदस्य, पदधारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति–यदि पंचायत का कोई सदस्य या पदधारी या सेवक पंचायत के साथ या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किए गए किसी नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई वैयक्तिक अंश या हित, विहित प्राधिकारी की मंजूरी या अनुज्ञा के बिना जानते हुए अर्जित करता है, तो उसके बारे मे यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 168 के अधीन अपराध किया हैं।

धारा – 101. अधिकारियों आदि का सदोश अवरोध.–कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसे अधिकारी या सेवक ने किसी स्थान, भवन
या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की अपनी शक्तियां विधिपूर्वक प्रत्यायोजित की है, उस स्थान, भवन या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की उसकी विधिपूर्वक शक्तियों का प्रयोग करने से रोकेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 341 के अधीन अपराध किया है।

धारा – 102. पंचायतो के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने का प्रतिशेध. – कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के किसी सदस्य, पदधारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ किसी पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा की गई है, उसके कर्तव्य के निर्वहन में या कोई ऐसी बात करने में जिसे करने के लिए वह सशक्त है, बाधा पहुंचाएगा वह दोशसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

धारा – 104. जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति. – कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमो द्वारा उसके अधीन जारी की गई किसी

सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किया गया है, ऐसी जानकारी देने का लोप करेगा या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, दोशसिद्धि पर, जुर्माने से,जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

धारा –106. किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रकिया – यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिकम द्वारा जिसके कारण किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उपगत की है और किसी व्यक्ति द्वारा किसी पंचायत की संपत्ति को कोई नुकसान पहंचाया गया है, तो वह ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिये दायी होगा और विवाद के मामले में नुकसान का मूल्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसने ऐसी शास्ति उपगत करने वाले व्यक्ति को सिद्धदोश ठहराया है और भंग करने पर ऐसे मूल्य का संदाय न किया जाने पर, वह राशि भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी।

धारा –111. पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होंगे – पंचायत का प्रत्येक पदधारी और

उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

धारा –116. वसूल न की जा सकने वाली धनराशियां तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते में डाला जाना – पंचायतों को शोध्य ऐसी धनराशियां जो वसूल न की जा सकती हों तथा ऐसी सामग्री जो उपयोगी न हो, विहित रीति में बट्टे खाते में डाल दी जाएगी।

धारा –117. सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिशेध – पंचायत के किसी भी सदस्य को पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या भत्ता इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा अन्यथा नहीं।

धारा –118. पंचायत या ग्राम सभा के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा – इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय करने पर, जो विहित की जाए पंचायत या ग्राम सभा तथा उसकी किसी समिति के अभिलेखों का ऐसे व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा जो उसकी वांछा करें, और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां ऐसे व्यक्तियों को जो उनके लिए आवेदन करें, ऐसी फीस का संदाय करने पर जैसा कि विहित की जाए, दी जाएगी।

धारा –119. दस्तावेज आदि तामील करने की पद्धति – इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, उपविधि या आदेश के अधीन किसी सूचना अन्य दस्तावेजों की तामील विहित रीति में की जाएगी।

धारा –122. निर्वाचन याचिका – (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को–
(एक) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के मामले में उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को,
(दो) जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, और
(तीन) जिला पंचायत के मामले में संभाग आयुक्त को विहित रीति में केवल याचिका पेश करके ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं।
(2) ऐसी कोई भी अर्जी तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक वह उस तारीख से, जिसको प्रश्नगत निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश न की जाए।
(3) ऐसी अर्जी की जांच या उसका निपटारा ऐसी प्रकिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए।

संपरीक्षा

धारा –129. पंचायतों की संपरीक्षा – (1) पंचायतों के लेखाओ की संपरीक्षा करने के लिए राज्य

सरकार के नियंत्रणाधीन एक पृथक तथा स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन होगा।
(2) संपरीक्षा संगठन में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले ऐसे अधिकारी तथा

सेवक होंगे जैसा कि राज्य सरकार समय—समय पर नियुक्त करना उचित समझे।
(3) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संदाय की जाने वाली संपरीक्षा फीस और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर कार्यवाही की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

धारा — 131. विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्तियां — इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के समस्त स्थायी अधिकारियों तथा सेवकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, पेशंन तथा सेवानिवृत्ति फायदे जो उस तारीख को हैं जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, विद्यमान वेतन और भत्ते, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति फायदे होंगे।
धारा —132. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने
में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा उसके उपबंधों से असंगत न होने वाली कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है; परन्तु इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्श की कालावधि का अवसान हो चुकने के पश्चात नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कृत्य—
(एक) अध्यक्ष —
(क) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये उसके द्वारा पारित जनपद पंचायत के संकल्पो को;
(ख) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देश ;
(ग) अधिनियम की धारा 50 के अधीन जनपद पंचायत को समनुदेशित किए गए समस्त कृत्य कियान्वित करने या कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा।
(दो) अध्यक्ष —
वे शक्तियां या कृत्य, जो अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन विशिष्टतः प्रदत्त किए गए हैं, के अतिरिक्त :—
(क) जनपद पंचायत के सम्मिलनों की अध्यक्षता तथा उनका विनियमन करेगा;
(ख) जनपद पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्टरों की समुचित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा।
(ग) जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य या की गई कार्रवाई का पर्यवेक्षण करेगा तथा उस पर नियंत्रण रखेगा;
(घ) जनपद पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा;
(ड.) जनपद पंचायत निधि का, जिसमें संदाय के प्राधिकार चेकों का जारी करना तथा वापसी आदि सम्मिलित है, का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संचालन करेगा;
(च) इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा रिपोर्ट तैयार करवाएगा;
(छ) जनपद पंचायत को, वे समस्त मामले, जिसमें उसकी मंजूरी अपेक्षित है, प्रस्तुत करेगा।
(दो) उपाध्यक्ष —
(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जनपद पंचायत के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगाः—
(ख) अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित होने पर या उस दशा में जब अध्यक्ष किसी कारणवश सम्मिलन में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कृत्यों का पालन करेगा;

म0प्र0 जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां
(सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियाँ और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम , 1994, अधिसूचना क्रमांक 1508–2128–बाईस –पं. 2–94 दिनांक 16 सितम्बर 1994–मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक एक सन् 1994) की धारा 47 की उपधारा (4), (5) एवं (6) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं, बनाती है अर्थात् :–
नियम
नियम .1 संक्षिप्त नाम .– इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 है
नियम.2 परिभाशाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों –
(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्र. एक,सन् 1994)
(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूपः
(ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्षः
(घ) धारा से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।
(ड) ''स्थायी समिति'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थायी समितिः
(च) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है , यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष,
सदस्यों का निर्वाचन
नियम – 3 जनपद पंचायत/जिला पंचायत द्वारा स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या का अवधारित किया जाना – धारा 47 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत उक्त धारा में वर्णित प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या संकल्प द्वारा अवधारित करेगी, तथापि प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या दस से अधिक नही होगी
नियम – 4. स्थायी समिति के गठन के लिए सम्मिलन – जनपद पंचायत/ जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, धारा 26 या 33 के अधीन जिस तारीख को, यथास्थिति सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अधिसूचित होता है उससे एक मास के भीतर यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को समान्य प्रशासन समिति को छोडकर स्थायी समिति के सदस्यों को निर्वाचन करने के लिए यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत का सम्मिलन बुलाएगाः परन्तु यथास्थिति जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रथम गठन के लिए उपरोक्त विहित कालावधि चार मास की होगीपरन्तु
यह और कि यदि किसी स्थायी समिति का गठन उक्त कालावधि के भीतर पूर्ण नही होता है तो ऐसी समिति विघटित हो गई समझी जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी को नयी स्थायी समिति का गठन करना होगा ।
नियम . 5 पृथक से किया जाने वाला निर्वाचन – (1) प्रत्येक स्थायी समिति के लिए पृथक पृथक निर्वाचन किया जाएगा.
(2) यदि यथास्थिति , जनपद पंचायत या जिला पंचायत के एक ही सम्मिलन में एक से अधिक स्थायी समिति की बाबत् निर्वाचन किए जाते है तो वे यथासंभव उसी क्रम में किए जाएंगे जिस क्रम में स्थायी समितियां धारा 47 की उपधारा (1) में वर्णित की गई है. तथापि

यदि किसी स्थायी समिति का निर्वाचन नियम 9 के अधीन स्थगित कर दिया जाता है तो क्रम में उसके पश्चात आने वाली स्थायी समिति का निर्वाचन किया जाएगा

नियम 6. ''पीठासीन प्राधिकारी– किसी जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत की स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सम्मिलन की अध्यक्षता क्रमशः संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जायगी ।

नियम 7 नाम निर्देशनों का आमंत्रण किया जाना – (1)पीठासीन प्राधिकारी, उस स्थायी समिति का नाम, जिसके लिए निर्वाचन किया जा रहा है और निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या आख्यापित करेगा तथा उसके लिए प्ररूप 1 में नाम निर्देशन आमंत्रित करेगा

(2) निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा तथा दूसरे सदस्य द्वारा उसका समर्थन किया जाएगा .परंतु ऐसे किसी भी सदस्य को प्रस्तावित नहीं किया जाएगा. यदि वह तीन स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में पूर्व में ही निर्वाचित कर लिया गया हो

नियम– 8 नाम निर्देशन – उन समस्त अभ्यार्थियों के नाम, जो वैद्य रूप से प्रस्तावित तथा समर्थित किए गए हों, पीठासीन प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जायेगे और उसके द्वारा सम्मिलन में पढें जायेगे।

नियम– 9 प्रकिया –(1) यदि इस प्रकार पढे गये अभ्यार्थियों के नामों की संख्या स्थानों की संख्या के बराबर हो तों पीठासीन प्राधिकारी ऐसे समस्त अभ्यार्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए घोशित करेगा.

(2) यदि ऐसे अभ्यार्थियों की संख्या स्थानों की संख्या से कम हो तो पीठासीन प्राधिकारी ऐसे समस्त अभ्यार्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए घोशित करेगा ओर या तो नवीन नामनिर्देशन मंगवाएगा या शेश स्थान या स्थानों को भरने के लिए यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के आगामी सम्मिलन तक के लिए निर्वाचन स्थगित करेगा.

(3) यदि प्रस्तावित अभ्यार्थियों की संख्या स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन मतपत्र द्वारा किया जाएगा

नियम– 10 मतों आदि का अभिलिखित किया जाना – (1) अभ्यार्थियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखे गए नामों के वर्णक्रम से एक क्रमांक समनुदेशित किया जाएगा. इसके पश्चात पीठासीन प्राधिकारी प्रत्येक अभ्याथ्री को समनुदेशित किया गया क्रमांक सदस्यों को आख्यापित करेगा.

(2) पीठासीन प्राधिकारी एक ऐसी विनिर्मित मत पेटी की व्यवस्था करेगा जिसके भीतर मतपत्र डाले जा सकें किन्तु पेटी का ताला खोले बिना उसमें से निकाले न जा सकें.

(3) पीठासीन प्राधिकारी मतों को डाले जाने के ठीक पूर्व ऐसे सदस्यों को जो उपस्थित हों यह दिखलाएगा कि मतपेटी रिक्त है और उसके पश्चात् उसमें ताला लगाएगा और उस पर अपनी सील इस प्रकार लगाएगा कि ऐसी सील को तोड़े बिना उसे खोला न जा सकें

(4) सम्मिलन में उपस्थिति प्रत्येक सदस्य को समस्त अभ्यार्थियों के नाम हिन्दी में वर्णक्रम में टंकित अथवा सुवाच्य लिखित एक मतपत्र निम्नलिखित प्ररूप में दिया जाएगा :–

क्रमांक	नाम	चिन्ह
1		
2		
3		

(5) पीठासीन प्राधिकारी प्रत्येक मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा और सील लगाएगा जिससे कि उसकी अधिप्रमाणिकता उपदर्शित हो जाए।

(6) इसके पश्चात् पीठासीन प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए क्रम अनुसार प्रत्येक मतदाता मतदान के लिए निश्चित किये गये स्थान पर जाएगा और वहां ऐसे प्रत्येक अभ्यार्थी के , जिसे वह मत देना चाहता है, नाम के सामने मत पत्र पर ˜ चिन्ह लगाएगा. यथास्थिति

जनपद पंचायत या जिला पंचायत के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर मतों का अधिकार होगा. इसके पश्चात् वह मत की गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से मत पत्र को मोड़ेगा और उसे पीठासीन प्राधिकारी तथा अन्य सदस्यों की दृष्टि के सामने रखी हुई मतपेटी में डाल देगा।

(7) यदि यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य निरक्षरता या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो पीठासीन प्राधिकारी उसे उसका मत गोपनीयता से अभिलिखित करने के लिए समर्थ करने में ऐसी सहायता देगा जैसा कि आवश्यक हो.

(8) पीठासीन प्राधिकारी ऐसी व्यवस्था करवाएगा जिससे कि मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित रहे।

(9) मतदान समाप्त होने के ठीक पश्चात् पीठासीन प्राधिकारी उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मत पेटी खोलेगा, उसमें से मतपत्र निकालेगा फिर उनकी गणना करेगा और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए वैद्य मतों की संख्या उनकी कुल संख्या एक विवरण पत्र के रूप में अपने हस्ताक्षर और सील के अधीन अभिलिखित करेगा, कोई भी मतपत्र अवैध हो जाएगा –

(क) यदि इस पर मतदाता के हस्ताक्षर हो या कोई ऐसा शब्द संकेत या दृश्य रूपण अन्तर्विष्ट हो जिसके द्वारा उसे पहचाना जा सकें : या (ख) यदि भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक अभ्यार्थियों की संख्या के सामने चिन्ह लगाए गए हो या

(ग) यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया हो जिससे यह संदेहास्पद हो जाए कि किस अभ्यर्थी को मत दिया जाना आशयित थाः या

(घ) यदि उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया हो : या

(ड) यदि उस पर उपनियम (5) में अपेक्षित किए गए अनुसार हस्ताक्षर नही हो या सील नहीं लगी हो।

(10) तब पीठासीन प्राधिकारी अपने हस्ताक्षर और सील के अधीन उपनियम (9) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में ऐसे अभ्यर्थी/अभ्यार्थियों के नाम जिसने/जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में वैध मत प्राप्त किए हों, अवरोधी क्रम में अभिलिखित करेगा और उसे या उन्हें रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार निर्वाचित हुआ घोशित किया करेगा।

(11) अभ्यार्थियों के बीच मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में पीठासीन प्राधिकारी सदस्यों की उपस्थिति में पर्ची (लाट) डालेगा और ऐसा अभ्यर्थी, जिसका नाम पहले निकले सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ घोशित किया जाएगा।

नियम–11 निर्वाचन का परिणाम – एक स्थायी समिति के निर्वाचन का परिणाम दूसरी स्थायी समिति के गठन के लिए निर्वाचन करने से पूर्व घोशित किया जाएगा।

नियम – 12. निर्वाचनों के कागज पत्रों का अभिलेख :– पीठासीन प्राधिकारी, सम्मिलन के ठीक पश्चात–(क) सम्मिलन में हुई कार्यवाहियों का अभिलेख तैयार करेगा और उसमें किए गए प्रत्येक सुधार को अपने आद्याक्षरों से अनुप्रमाणित करते हुए उस पर हस्ताक्षर करेगा, और यदि, यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सम्मिलन में उपस्थित कोई भी सदस्य ऐसे अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर करने की वांछा करे तो उसे हस्ताक्षर करने की अनुज्ञा भी देगा : और

(ख) उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना , प्रत्येक स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये गये व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुये यथा स्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सूचना फलक पर प्रकाशित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति आयुक्त को भेजेगा ।

नियम 13. निर्वाचन के कागजपत्रों की अभिरक्षा.– (1) पीठासीन प्राधिकारी तत्पश्चात् प्रत्येक स्थायी समिति के निर्वाचन से संबंधित समस्त कागज पत्रों के पृथक पृथक पैकेट बनाएगा,

प्रत्येक पैकेट को सील बन्द करेगा तथा उन पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का वर्णन, निर्वाचन, जिससे वह संबंधित हो तथा उसकी तारीख नोट करेंगा।

(ख) यह पैकेट आयुक्त के आदेशों के अधीन ही खोले जाएंगे और उनकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण किया जाएगा या उन्हें पेश किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(3) यह पैकेट आयुक्त के कार्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में एक वर्श के लिये रखे जाएगे और इसके पश्चात् यदि आयुक्त द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए, नष्ट कर दिए जाएंगे ।

नियम 14. आकस्मिक रिक्ति – यदि किसी स्थायी समिति के किसी सदस्य का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत ऐसी रिक्ति होने के पश्चात् यथापूर्वोक्त रीति में रिक्त पद यथाशीघ्र भरने के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को निर्वाचित करेगी और इस प्रकार निर्वाचित किया गया, यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य अपने पूर्ववर्ती की अनवसित अवधि तक ऐसा पद धारण करेगा : परंतु कोई भी ऐसी आकस्मिक रिक्ति जो उस तारीख के पूर्ववर्ती चार मास की कालावधि के भीतर हुई हो जिसको कि सम्बद्ध व्यक्ति की पदावधि समाप्त होती हो, नहीं भरी जाएगी नियम 14 क सदस्यों का सहयोजन (1) अधिनियम की धारा 47 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए जिला पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति अपने गठन के पश्चात यथा शक्य शीघ्र राज्य विधानसभा के दो से अनाधिक ऐसे सदस्यों को उस जिला पंचायत के सदस्य हैं सहयोजित करेगी । (2) राज्य विधानसभा के सदस्यों के सहयोजन के लिए सम्मिलन की अध्यक्षता संभागायुक्त द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा की जायगी। (3) पीठासीन प्राधिकारी सहयोजन के लिए नाम निर्देशन आमंत्रित करेगा। सहयोजन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जायगा और दूसरे सदस्य द्वारा उसका समर्थन किया जायेगा। परन्तु राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को प्रस्तावित नहीं किया जायगा यदि वह पूर्व में ही दो सथायी समितियों के सदस्य के रूप में सहयोजित कर लिया गया हो। (4) उन समस्त अभ्यार्थियों के नाम जो वैध रूप से प्रस्तावित तथा समर्थित किये गये हों पीठासीन प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जायंगे और उसके द्वारा सम्मिलन में पढ़े जाएंगे। (5) यदि प्रस्तावित अभ्यार्थियों की संख्या स्थानों की संख्या से अधिक हो तो सदस्यों का सहयोजन पीठासीन अधिकारी द्वारा निकाले गये लाट द्वारा विनिश्चित किया जायगा। (6) नियम 11 से 14 तक के उपबंध सदस्यों के सहयोजन के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वे स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होते है ।

स्थायी समितियों के सभापति का निर्वाचन

नियम 15. सभापति का निर्वाचन – (1) सामान्य प्रशासन समिति तथा शिक्षा स्थायी समिति को छोड़कर प्रत्येक स्थायी समिति, अपने गठन के पश्चात् एक मास के भीतर अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सभापति निर्वाचित करेगी । परन्तु यदि सामान्य प्रशासन समिति तथा शिक्षा समिति को छोड़कर कोई स्थायी समिति, उक्त कालावधि के भीतर, उक्त सीमित के लिए सभापति का निर्वाचन नहीं करती है तो ऐसी समिति विघटित हो गई समझी जाएगी तथा विहित प्राधिकारी, उसके स्थान पर नियम 4 के उपबंधों के अधीन स्थायी समिति का गठन करने की कार्यवाही करेगा। (2) अध्याय – 1 में उपबंधित निर्वाचन की रीति ऐसे उपान्तरणों के साथ जैसे कि आवश्यक हों स्थायी समिति के सभापति के निर्वाचन को लागू होगी .अध्याय– 3 शक्तियां और कृत्य नियम 16. स्थायी समिति की शक्तियां – अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति की उसे सौंपे गये विशयों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–

(क) कागज पत्रों, दस्तावेजों तथा अन्य जानकारी को उसी रीति में तथा उसी सीमा तक मंगाना जिस तक कि यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को मंगाने की शक्ति है:

(ख) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए विशयों पर यथास्थिति जनपद पंचायतों या जिला पंचायतों के वार्शिक बजट में उपबंधित सीमा तक व्यय उपगत करनाः
(ग) निधियों को एक शीर्श के अधीन एक उपमद से उसी शीर्श की अन्य उपमद में पुनर्विनियोजित करना तथा यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अनुमोदन से रकम को एक शीर्श से दूसरे शीर्श में पुनर्विनियोजित करनाः
(घ) विभिन्न शीर्शो के अधीन अभ्यर्पित किए जाने के लिए संभाव्य रकम का प्रत्येक वर्श दिसम्बर के अन्त तक प्राक्कलित करना और ऐसे विवरण यथास्थिति जनपद पंचायत को जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
नियम 17. स्थायी समिति के कृत्य – अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए संबंध स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :–(क) यथास्थिति धारा 50 की उपधारा (1) के या धारा 52 की उपधारा (1) के कार्यक्षेत्र में आने वाले कृत्यः
(ख) इसके कार्यक्षेत्र में आने वाली स्कीमों या कार्यक्रमों के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और उसे यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को 30 जून 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर ओर 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए क्रमशः जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के अंत तक प्रस्तुत किया जानाः (ग) इसके द्वारा उपगत किए गए व्ययों का समुचित लेखा बनाए रखना .
पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया
नियम 18. पदावधि – स्थायी समिति के सभापति तथा सदस्यों की पदावधि वही होगी जो यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों की है : परन्तु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति जो यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है स्थायी समिति का सभापति या सदस्य नहीं रहेगा।
नियम 19. सम्मिलन का बुलाया जाना :– (1) स्थायी समिति का सभापति जितनी भी बार आवश्यक हो उतनी बार किन्तु प्रत्येक मास में कम से कम एक बार स्थायी समिति का सम्मिलन बुलाएगा।
(2) सभापति कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर स्थायी समिति का सम्मिलन बुलाएगा.(3) यदि उक्त अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर सम्मिलन नहीं किया जाता है तो यथास्थिति जनपद पंचायत , जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा सम्मिलन बुलाएगा
नियम 20. सम्मिलन की सूचना – प्रत्येक सम्मिलन की ऐसा सूचना , जिसमें उसकी तारीख समय तथा स्थान और उसमें किए जाने वाला कामकाज विर्निष्टि किया गया हों सम्मिलन से पूरे पांच दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी तथा यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी।
नियम 21. गणपूर्ति – (1) स्थायी समिति के सम्मिलन के लिए आवश्यक गणपूर्ति पीठासीन प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी।
(2) यदि किसी सम्मिलन में गणपूर्ति होने के लिए पर्याप्त सदस्य उपस्थिति नहीं है तो पीठासीन प्राधिकारी उसे ऐसे समय या तारीख तक के लिये स्थगित कर देगा जैसा वह उचित समझे तथा उसकी घोशणा तत्काल आख्यापित करेगा और उस कामकाज को, जो यदि गणपूर्ति होती तो मूल सम्मिलन के समक्ष लाया जाता, स्थगित सम्मिलन के समक्ष लाया जायगा। और ऐसे सम्मिलन में या किसी पश्चातवर्ती स्थगित सम्मिलन में चाहें वहां गणपूर्ति हो या न हो उसका निपटारा किया जाएगा
नियम 22. सम्मिलन का सभापति :– सभापति स्थायी समिति के सभी सम्मिलनों के अध्यक्षता करेगा किन्तु उसकी अनुपस्थिति में उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।

नियम 23. किया जाने वाला कामकाज – (1) सम्मिलन में सूचना में विनिर्दिष्ट कामकाज से भिल्न कोई भी अन्य कामकाज पीठसीन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।
(2) जहां कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित हो तो उसे विनिश्चिय के लिए यथास्थिति जनपद या जिला पंचायत के समक्ष रखा जाएगा।
नियम 24. स्थायी समिति के सम्मिलन में जनता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा – स्थायी समिति के सम्मिलनों में जनता के सदस्यों को प्रवेश नही दिया जाएगा
नियम 25 स्थायी समितियों का सचिव – (1) सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, स्थायी समिति का सचिव होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होगा।
(2) स्थायी समिति का सचिव, जब तक कि उसे युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारणों से न रोका जाय तब तक स्थायी समिति के सम्मिलन में उपस्थित रहेगा तथा सम्मिलन में चर्चा के अधीन किसी विशय के सम्बन्ध में जानकारी या स्पष्टीकरण दे सकेगा।
(3) जनपद पंचायत या जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी किसी स्थायी समिति के सम्मिलन में उपस्थित हो सकेगा तथा ऐसे सम्मिलन में चर्चा के अधीन किसी विशय के बारे में स्पष्टीकरण दे सकेगा या कथन कर सकेगा । मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसे सम्मिलन में उपस्थित हो सकेगा तथा उक्त कृत्यों का पालन कर सकेगा।
नियम 26. कामकाज की मदों का विनिश्चयः– (1) स्थायी समिति के किसी सम्मिलन के समक्ष लाये गये सभी प्रश्नों का विनिश्चय समिति के सदस्यों के मतैक्य के आधार पर किया जाएगा परन्तु यदि किसी विवाद्यक पर तीव्र मतभेद हो तो पीठासीन प्राधिकारी उस पर मत लेगा. (2) स्थायी समिति के सभी विनिश्चिय प्ररूप 2 में रखे गये रजिस्टर में अभिलिखित किये जाएंगे : परन्तु यदि उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसार मत लिए जाते है तो विनिश्चिय को विवाद्यक बिन्दु के पक्ष या विपक्ष में मत दे रहें सदस्यों के नामों के साथ कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा
नियम 27. स्थायी समिति की कार्यवाहियां – (1) स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त को , देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखकर तैयार किया जाएगा इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा और सम्मिलन के पीठासीन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.
(2) (एक) जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सम्मिलन में लिए गए विनिश्चिय की संक्षिप्तियां और उसके कार्यवृत्त उसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जो उसकी प्रतियां जानकारी के लिए संबंध जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी भेजेगा, जनपद पंचायत के आगामी सम्मिलनों में रखे जाएंगे। (दो) जिला पंचायत की स्थायी समितियों के सम्मिलन के लिए गए विनिश्चय की संक्षिप्तियां और उसके कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के आगामी सम्मिलनों में रखे जाएंगे और उनकी एक प्रति संभाग आयुक्त को भी जानकारी के लिए भेजी जाएगी।
नियम 28. चर्चाधीन कामकाज में हित रखने वाले सदस्य – (1) स्थायी समिति का कोई भी सदस्य सम्मिलन में चर्चा हेतु आने वाले ऐसे किसी मद पर , यदि मद ऐसा है जिससे उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित हो, मत नहीं देगा, या चर्चा में भाग नहीं लेगा. (2) स्थायी समिति का पीठासीन प्राधिकारी, किसी सदस्य को किसी ऐसे मद पर जिसमें उसे ऐसे सदस्य का ऐसा हित रखने का विश्वास है मत देने या चर्चा में भाग लेने से रोक सकेगा या वह ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं ऐसे मद पर चर्चा के दौरान अनुपस्थित रहें.

(3) ऐसा सदस्य पीठासीन प्राधिकारी के विनिश्चिय को चुनौती दे सकेगा जो तदुपरि सम्मिलन में भाग ले रहें शेश सदस्यों के समक्ष प्रश्न रखेगा और ऐसे शेश सदस्यों का उस पर बहुमत द्वारा लिया गया विनिश्चय अंतिम होगा. (4) यदि सम्मिलन में किसी सदस्य को ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति चर्चाधीन किसी मद में कोई ऐसा धन संबंधी हित रखता है और सम्मिलन में भाग ले रहें अन्य सदस्यों के बहुमत द्वारा उस प्रभाव का लाया गया प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति मद पर चर्चा के दौरान ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा और सम्मिलन की अध्यक्षता किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जावेगी, जो ऐसी दशा में अध्यक्षता करता जबकि अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अनुपस्थित होता।

नियम 29. अंतिम रूप से निपटाए गए विशय पर पुनर्विचार – किसी ऐसे विशय पर जिसका स्थायी समिति द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया है छह मास की कालावधि के भीतर उसके द्वारा तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिए यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों में कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की अभिलिखित सहमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या जनपद पंचायत की दशा में जब तक कि कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश पर उसका पुनर्विचार करने के लिए निर्देश न दे दिया हो या जिला पंचायत की दशा में जब तक कि आयुक्त ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश पर उसका पुनर्विचार करने के लिए निर्देश न दे दिया हो।

नियम 30. निरसन – मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला परिशद् स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन, शक्तियॉ और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1991 एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

मध्यप्रदेश पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम 1995 क्र. बी–1–15–95–बाईस–पी.–2, दिनांक 28 मार्च 1995 – मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993(क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 91 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम जो कि धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, बनाता है अर्थात् –नियम 1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1995 है।

2. परिभाशाएँ – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) है।

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा

3. अपील तथा अपीली प्राधिकारी – अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, कोई अपील –

(क) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबंध के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में – कलेक्टर को।

(ख) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबंध के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में – आयुक्त को।

(ग) आयुक्त या संचालक, पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में – राज्य सरकार को।

(घ) नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट की गई पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में, उसके कालम (2) में तत्स्थानी प्रिविष्ट में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, की जाएगी।

सारणी

(1) (2)
(क) ग्राम पंचायत उपखण्ड अधिकारी
(ख) जनपद पंचायत कलेक्टर
(ग) जिला पंचायत आयुक्त

4. अपील की परिसीमा – (1) कोई भी अपील नियम 3 के अधीन अपीली प्राधिकारी को उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की तारीख के तीस दिन समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) अपीली प्राधिकारी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट तीस दिन समाप्त होने के पश्चात् भी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपील उस कालावधि के भीतर प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

5. पुनरीक्षण – (1) (क) राज्य सरकार, आयुक्त पंचायत संचालक, कलेक्टर अपनी स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किये गये आदेश की वैद्यता या औचित्य के संबंध में या की गई कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाये गये किसी भी मामले का अभिलेख मंगवा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा तथा उसके संदर्भ में ऐसा आदेश दे सकेगा, जैसा वह उचित समझे। परंतु वह कोई भी आदेश तब परिवर्तित या उलट नहीं करेगा जब तक हितबद्ध पक्षकारों को सूचना न दे दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। परंतु यह और भी कि इस अधिनियम के अधीन अपील योग्य किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन तथ्यों का। (2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी – (एक) जहां उपनियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी मामले के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो वहां उसके संबंध में उक्त उपनियम में वर्णित अन्य अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और (दो) जहां उपनियम (1) में वर्णित अधिकारी द्वारा किसी ऐसे मामले के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो वहां राज्य सरकार ऐसे मामले के संबंध में इस नियम के अधीन तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगी जब तक कि ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाही का अंतिम निपटारा न कर दिया गया हो या ऐसी कार्यवाही वापस न ले ली गई हो या ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित न कर दिया गया हो।

6. पुनरीक्षण के लिए परिसीमा – (1) नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन, आदेश की तारीख से साठ दिन समाप्त होने के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी, साठ दिन समाप्त होने के पश्चात् भी पुनरीक्षण के लिए आवेदन ग्रहण कर सकेगा। यदि उसका यह समाधान हो जाये कि आवेदन को उस कालावधि के भीतर प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

7. अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन का प्ररूप – इन नियमों के अधीन अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन ज्ञापन के रूप में होगा, जिसमें उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, की बाबत आपत्तियों के आधारों का संक्षेप में उल्लेख किया जायेगा और उसके साथ ऐसे आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

8. आदेश या विनिश्चय के निष्पादन पर स्थगन – नियम 3 तथा 5 में निर्दिष्ट या पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसे आदेश के, जिसके कि विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, निष्पादन पर अपील या पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विनिश्चिय होने तक स्थगन दे सकेगा।

9. अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्ति – अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा आगे ऐसी जांच यदि कोई हो, के पश्चात् जैसी वह अधिनियम या उसके बनाये गये नियमों का अध्यधीन रहते हुए आवश्यक समझे उस आदेश

या विनिश्चय जिसके विरूद्ध अपील की गई है की पुष्टि कर सकेगा, उसमें परिवर्तन कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा।
10. खर्च – अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी पक्षकारों को ऐसे खर्चे दिला सकेगा जैसा वह उचित समझे।
11. निरसन – इस विशय से संबंधित पूर्व नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निरस्त हो जायेंगे।
———
मध्यप्रदेश पंचायत (अभिलेखों तथा प्रतियों का निरीक्षण) नियम 1995 क्र. बी. –1–20–95–बाईस–पी.–दो, दिनांक 28 मार्च 1995 – मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 118 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियम जो कि धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है बनाता है अर्थात् –
नियम
1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत (अभिलेखों तथा प्रतियों का निरीक्षण) नियम 1995 है। 2. परिभाशाएँ – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है –
(एक) ग्राम पंचायत या उसकी समिति के मामले में, सरपंच/सचिव
(दो) जनपद पंचायत या उसकी समिति के मामले में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (तीन) जिला पंचायत या उसकी समिति के मामलों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकरी।
(ख) ''प्ररूप'' अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप।
3. कतिपय अभिलेखों का निःशुल्क निरीक्षण – कोई व्यक्ति, जो पंचायत या उसकी किसी समिति के निम्नलिखित अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहता हो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से ऐसे अभिलेख का निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगा –
(क) बजट (ख) प्राप्ति तथा व्यय के वार्शिक लेखे (ग) किसी कर की कर निर्धारण सूची
(घ) जन्म मरण, मकान क्रमांक, आवासहीन, आदि जैसे जानकारी के रजिस्टर (ड़) पंचायत के विनिश्चयों का रजिस्टर (च) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में वर्णित अभिलेख
4. मामले के अभिलेख का निरीक्षण – (1) ऐसे मामले के जो लंबित है या जिसका अभिलेख पंचायत कार्यालय में जमा नहीं किया गया है, अभिलेख का सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात् संबंधित पक्षकार द्वारा निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा। (2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो नियम 3 में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के छोड़कर किसी अन्य अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो वह प्ररूप एक में आवेदन प्रस्तुत कर तथा उसमें हित के स्वरूप तथा वह प्रयोजन जिसके लिए निरीक्षण करना चाहता है उल्लेखत करते हुए तथा नियम 5 में विहित निरीक्षण फीस का संदाय कर वैसा कर सकेगा।
5. निरीक्षण फीस – (1) निरीक्षण किए गए प्रत्येक अभिलेख के लिए निरीक्षण फीस पहले घंटे के लिए दो रूप्ए तथा पश्चात्वर्ती घंटे या उसके भाग के लिए पचास पैसे होगी। (2) उपनियम (1) के अधीन प्रभार्य फीस सक्षम प्राधिकारी को, निरीक्षण के आवेदन के साथ नगदी में भुगतान की जायेगी जो उसे पंचायत निधि में जमा करेगा तथा वह प्ररूप दो में अपने हस्ताक्षर कर रसीद तत्काल देगा।
6. निरीक्षण के लिए स्थान तथा समय – (1) निरीक्षण, पंचायत के कार्यालय समय के दौरान पंचायत कार्यालय में किया जाएगा।

7. निरीक्षण पुस्तक – प्रत्येक पंचायत द्वारा निरीक्षण पुस्तक नामक पुस्तक प्ररूप तीन में रखी जाएगी। निरीक्षण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति निरीक्षण पुस्तक के कालम एक से छह तक में विशिष्टयां भरेगा।

8. सामान्य निर्बन्धन – निरीक्षण के दौरान पेन तथा स्याही का प्रयोग पूर्णतः निशिद्ध है। पेंसिल तथा कागज का उपयोग निरीक्षण किए गए अभिलेख से टीप लेने या प्रतिलिपि करने के लिए किया जा सकता है, किंतु निरीक्षण किए गए किसी अभिलेख पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाएगा।

9. अभिलेखों की प्रतिलिपि के लिए आवेदन – पंचायत या उसकी किसी समिति के अभिलेखों की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए प्ररूप एक में आवेदन उस अभिलेख के जिसकी प्रतिलिपि अपेक्षित है पूरे ब्यौरे देते हुए सक्षम प्राधिकारी को दिया जायेगा।

10. अभिलेख की प्रतिलिपि देने से इंकार करने की प्राधिकारी की शक्ति – (1) सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए उसके कारण अभिलिखित करते हुए निम्नलिखित में से किसी भी अभिलेख की प्रतिलिपि देने से इंकार कर सकेगा –

(एक) पत्र या रिपोर्ट, जिनमें आवेदक को प्रभावित करने वाले अंतिम आदेश अंतर्विष्ट न हो।

(दो) पंचायत तथा सरकारी प्राधिकारियों या राज्य सरकार के बीच के कोई पत्र व्यवहार

(तीन) अभिलेख जिसकी प्रतिलिपियां दी जाना सक्षम प्राधिकारी की राय में पंचायत के लिए अहितकर है।

(चार) दस्तावेजों के उद्धरण जिससे नस्ती के अवशिष्ट भाग से अलग कर पढ़ा जाने पर पंचायत या उसकी किसी समिति द्वारा पारित अंतिम आदेश का दुर्व्यपदेशन होता है।

(पांच) पंचायत या उसकी किसी समिति की कार्यवाही से उद्धरण (2) उपनियम (1) के अधीन स्वीकृत सभी आवेदन, पंचायत की आगामी बैठक में सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही के अनुमोदन के लिए रखे जाएंगे।

(3) पंचायत के कार्यालय में प्राप्त किसी पत्र की प्रतिलिपि, जारी करने वाले कार्यालय की मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी।

(4) गोपनीय पत्रों तथा कागज पत्रों की प्रतिलिपियां किसी भी दशा में नहीं दी जाएंगी।

11. दण्डित कर्मचारी निःशुल्क प्रतिलिपि के हकदार होंगे – पंचायत के कर्मचारियों को दंडित करने वाले आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को निःशुल्क दी जाएगी।

12. संपरीक्षा की टिप्पणियों की प्रतिलिपियॉं – सक्षम प्राधिकारी, संपरीक्षा की टिप्पणियों तथा संबद्ध कागज पत्रों की प्रतिलिपियां किसी भी व्यक्ति को जिसने उसके लिए आवेदन किया है फीस का भुगतान करने पर दे सकेगा। परंतु सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध अवैध भुगतान या घोर उपेक्षा या कदाचरण के कारण हुई हानि का आरोप लगाया गया है ऐसी टिप्पणियां तथा कागज पत्रों की प्रतिलिपियां निःशुल्क देगा।

13. तलाशी के लिए फीस – यदि ऐसे अभिलेख का जिसकी प्रतिलिपि अपेक्षित हो पता लगाने के लिए तलाशी आवश्यक हो तो प्रति घंटे या घंटे के किसी भाग के लिए पचास पैसे की दर पर फीस प्रभारित की जायेगी। यह तलाशी सक्षम प्राधिकारी अथवा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त पंचायत के किस उत्तरदायी अधिकारी की अविलम्ब उपस्थिति में की जायेगी।

14. प्रतिलिपियां तैयार करने हेतु फीस – (1) प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए फीस, प्रति पृष्ठ या उसके किसी भाग के लिए 5 रूपये होगी। चाहे वह प्रति अंग्रेजी में हो या हिन्दी में हो।

(2) मानचित्र तथा प्लान की प्रतिलिपि फीस एक रूपया प्रति सौ वर्ग सेन्टीमीटर की दर से प्रभारित की जायेगी, जिसमें अनुरेखण कपड़े की लागत सम्मिलित है किंतु जो कम से कम पांच हजार रूपए होगी।

परंतु यदि पंचायत के लिए उसके कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा तैयार किये गये मानचित्र तथा प्लान प्राप्त करना आवश्यक हो तो ऐसी प्रतिलिपियों के लिए ऐसे

व्यक्तियों को भुगतान की गई वास्तविक मजदूरी तथा प्रत्येक प्रति के लिए एक रू. अतिरिक्त फीस दी जायेगी।

15. प्रतिलिपियों का प्रमाणित किया जाना – सक्षम प्राधिकारी, सभी प्रतिलिपियों को सत्य प्रतिलिपियों के रूप में प्रमाणित करेगा।

16. फीस अग्रिम में देय होगी – अभिलेख की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए दिये गये प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी अग्रिम राशि देय होगी जो आवेदित प्रतिलिपि की अनुमानित लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

17. फीस पंचायत निधि में जमा की जाएगी – अभिलेख की प्रतिलिपियां अभिप्राप्त करने के लिए देय सभी फीस सक्षम प्राधिकारी को नगदी में भुगतान की जायेगी जो उसे पंचायत निधि में जमा करेगा और उसके लिए अपने हस्ताक्षर में रसीद प्ररूप दो में उसी समय देगा।

18. प्रतिलिपि रजिस्टर – सक्षम प्राधिकारी, प्ररूप चार में एक प्रतिलिपि रजिस्टर रखेगा या रखवायेगा।

19. वापसी – यदि निरीक्षण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाती है या आवेदन प्राप्त होने पर अभिलेख की प्रतिलिपि नहीं दी जाती है तो निरीक्षण या अभिलेख की प्रति के लिए जमा की गई फीस आवेदक को वापस कर दी जायेगी।

20. निरसन – इस विशय से संबंधित पूर्व नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निरस्त हो जायेंगे।

मध्यप्रदेश पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम 1995 क्र. बी.–1–19–95–बाईस–पी.–2, दिनांक 28 मार्च 1995 – मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक एक सन् 1994) की धारा 84 उपधारा (1) (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियम, जो कि धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, बनाता है अर्थात् –

नियम

1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम 1995 है।

2. परिभाशाएँ – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो – (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 193 (क्रमांक 1 सन् 1994)

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा

3. निरीक्षण – (1) धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी समय–समय पर पंचायत की कार्यवाहियों और कार्यों का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया जाने वाला अधिकारी –

(क) ग्राम पंचायत के मामले में पंचायत तथा समाज सेवा संगठक अनुविभागीय अधिकारी जिसकी अधिकारिता में पंचायत आती है।

(ख) ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में आयुक्त संचालक, पंचायत या संयुक्त संचालक/उप संचालक जिला पंचायत और समाज कल्याण या कलेक्टर जिसकी अधिकारिता में ग्राम पंचायत आती है या कलेक्टर के अधीनस्थ कोई अधिकारी जो इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए या कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

(ग) जिला पंचायत के मामले में आयुक्त या संचालक, पंचायत या उनके अधीनस्थ कोई अधिकारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

(3) (क) वार्शिक निरीक्षण यथास्थिति, अनुविभागीय अधिकारी कलेक्टर, आयुक्त या संचालक पंचायत या किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए तैयार किए गए निरीक्षण रोस्टर के अनुसार वर्श में एक बार किया जाएगा।

(ख) आकस्मिक निरीक्षण उसकी जानकारी में कोई बात आने पर या अन्यथा ऐसे निरीक्षण की आवश्यकता महसूस होने पर किया जा सकेगा।

(4) पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश या प्रस्ताव या अपनायी गयी प्रक्रिया या किये गये किसी कार्य या की गई कार्यवाही की वैधता तथा औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

4. निरीक्षण अधिकारी की शक्ति – (1) निरीक्षण अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो –

(क) गवाह बुला सकेगा

(ख) साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा

(ग) अभिलेख की प्रतियां ले सकेगा

(घ) अभिलेख जब्त कर सकेगा या

(ड़) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेगा परंतु निरीक्षणकर्ता अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसके द्वारा परीक्षित किसी साक्ष्य के सार का ज्ञापन बनाए।

(2) यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कोई अभिलेख जब्त किया जाता है तो वह उसकी रसीद देगा जिसमें जब्त किए गए अभिलेख के ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा उसे आवश्यकता से अधिक समय तक प्रतिधारित नहीं करेगा।

5. निरीक्षण रिपोर्ट – (1) निरीक्षणकर्ता अधिकारी, निरीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् यथाशक्य, शीघ्र एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट यह बताएगी कि –

(क) पंचायत द्वारा किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही की अवैधता या अनौचित्य

(ख) शक्तियों का दुरूप्योग

(ग) किसी बात को करने का लोप

(घ) लेखे तथा अभिलेखों को रखने में अनियमितता

(ड़) विहित प्रक्रिया का अनुसरण न करना

(च) अधिनियम द्वारा या अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन में लगातार व्यक्तिक्रम

(छ) अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विधिसम्मत आदेश या निर्देश का पालन न करना।

(3) निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण का निर्देश देने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

6. निरसन – इस विशय से संबंधित पूर्व नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निरस्त हो जाएंगे।

म0प्र0 पंचायत (पंचायतों और पंचायत तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच संबंधों का विनियमन) नियम, 1994 अधिसूचना क्र. बी – 1–5–95–पं.–2–बाईस, दिनांक 9 जनवरी, 1995 – मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक सन् 1994) की धारा 90 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम, जो कि धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है, अर्थात् :–

नियम

1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत (पंचायतों और पंचायत तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच संबंधों का विनियमन) नियम, 1994 है।

2. परिभाशाएँ – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994)

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा

3. विवादों का निपटारा – (1) यदि कोई उत्पन्न विवाद –

(एक) पंचायतों, या

(दो) पंचायत तथा स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी मामले के संबंध में, जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हैं, प्रजातांत्रिक गठन में उनके प्रतिनिधि हैसियत का सम्यक् ध्यान रखते हुए ऐसे मामलों का, एक दूसरे के विचारों में मेल मिलाप द्वारा या आपसी परामर्श द्वारा निराकरण किया जाएगा।

2. यदि वे उपनियम (1) में उपबंधित रीति में अपने विवादों का निराकरण करने में असफल रहते हैं तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से या विवाद के किसी पक्षकार द्वारा विनिश्चय के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकेगा तथा ऐसे विनिश्चय में राज्य सरकार द्वारा आदेशित किसी जांच के खर्चों के बारे में कोई आदेश भी सम्मिलित होगा तथा ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा। परंतु पंचायत तथा स्थानीय प्राधिकारी लिखित में सहमत हो कि कोई ऐसा विवाद, राज्य सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट होने के स्थान पर, माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अधीन नियुक्त माध्यस्थ या माध्यस्थों को या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 90 के अधीन सिविल न्यायालय को निर्णय के लिए निर्दिष्ट हो।

4. निरसन – इस विशय पर पूर्व नियम, यदि कोई हो, मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निरस्त हो जाएंगे।

....

मध्यप्रदेश पंचायत (पत्र व्यवहार) नियम 1995 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 1995 क्र. बी–1–46–बाईस–पं.–2 –95– मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद द्वारा निम्नलिखित नियम जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, बनाता है अर्थात् –

नियम

1. संक्षिप्त नाम – इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत (पत्र व्यवहार) नियम 1995 है।

2. परिभाशाएं – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994)

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा

(ग) ''कलेक्टर'' से अभिप्रेत है उस जिले का जिसमें कि पंचायत कार्य कर रही हो, राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी

(घ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, उस संभाक का जिसमें कि पंचायत कार्य कर रही हो, राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी।

3. ग्राम पंचायत तथा विकास खण्ड कार्यालय अथवा जनपद पंचायत के बीच पत्र व्यवहार – राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेश आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित किए गए के सिवाए ग्राम पंचायत की ओर से जनपद पंचायत का तथा विकासखण्ड कार्यालय को सीधा पत्र व्यवहार किया जा सकेगा।

1. ग्राम पंचायत तथा अन्य शासकीय प्राधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार – राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेश आदेश द्वारा अन्यथा निदेशित किए गए के सिवाए ग्राम पंचायत की ओर से राज्य सरकार के अन्य प्राधिकारियों को पत्र व्यवहार संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। जनपद पंचायत पत्र व्यवहार को अपनी टिप्पणियों विचारों या सिफारिशों सहित जैसा वह उचित समझे संबंधित प्राधिकारियों को तत्काल अग्रेशित करेगा।

5. ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के बीच पत्र–व्यवहार – राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेश आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित किए गए के सिवाय, राज्य सरकार को किए जाने वाले

प्रस्तावों को संबंधित ग्राम पंचायत की ओर से राज्य सरकार को किया जाने वाला पत्र व्यवहार संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।

जनपद पंचायत उस पत्र व्यवहार के संबंध में अपनी ऐसी टिप्पणियों, विचारों या सिफारिशों सहित जैसी वह उचित समझे संभागीय आयुक्त/संचालक, पंचायत के माध्यम से राज्य सरकार को तत्काल अग्रेशित करेगी।

6. जनपद पंचायत तथा सरकार के अन्य प्राधिकारियों के बीच पत्र–व्यवहार –

(1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेश आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित किए के सिवाय, जनपद पंचायत द्वारा पत्र व्यवहार –

(क) (एक)कलेक्टर को; और (दो) ऐसे विशयों के संबंध में जिनमें अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिये तकनीकी मंत्रणा या स्वीकृति अपेक्षित हो, सरकारी विभाग के, किसी प्रमुख जिला प्रतिनिधि को पत्र–व्यवहार सीधे ही किया जा सकेगा; और (ख) विभागाध्यक्षों को, जिले में ऐसे विभागाध्यक्षों के प्रमुख प्रतिनिधि, यदि कोई हों के माध्यम से किया जाएगा।

(2) अत्यावश्यकता के मामले में जनपद पंचायत, विभागाध्यक्ष से सीधा पत्र–व्यवहार कर सकेगी किन्तु ऐसे पत्र–व्यवहार की प्रतिलिपियां ऐसे विभाग के प्रमुख जिला प्रतिनिधि को अग्रेशित करेगी।

7. जनपद पंचायत और राज्य सरकार के बीच पत्र–व्यवहार – राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेश आदेश द्वारा, अन्यथा निदेशित किए गए के सिवाय, जो राज्य सरकार को निवेदित किए जाने वाले उन प्रस्तावों से संबंधित पत्र व्यवहार, जिसे जनपद पंचायत राज्य सरकार से करे, संबंधित जिला पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। जिला पंचायत उस पत्र व्यवहार के संबंध में अपनी टिप्पणियों, विचारों या सिफारिशों सहित संभागीय आयुक्त/संचालक, पंचायत के माध्यम से राज्य सरकार को तत्काल अग्रेशित करेगी।

8. जिला पंचायत और राज्य सरकार तथा उसके प्राधिकारियों के बीच पत्र–व्यवहार– (1) राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेश आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित किए गए के सिवाए, जिला पंचायत द्वारा –

(क) (एक) कलेक्टर को;

(दो) संभागीय आयुक्त को; और

(तीन) सरकार के विभागाध्यक्ष के जिला या संभाग के किसी प्रमुख प्रतिनिधि को पत्र व्यवहार सीधे ही किया जा सकेगा; और (ख) विभागाध्यक्षों को उनके संभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से; और (ग) राज्य सरकार को संभागीय आयुक्त/संचालक, पंचायत के माध्यम से पत्र व्यवहार किया जाएगा।

(2) अत्यावश्यकता के मामलों में जिला पंचायत सरकार से सीधा पत्र–व्यवहार कर सकेगी किन्तु ऐसे पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां संभागीय आयुक्त/संचालक, पंचायत की अग्रेशित करेगी।

9. पंचायतों और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक या विभागीय लेखा परीक्षक या महालेखाकार के बीच पत्र–व्यवहार – पंचायत की ओर से उसके लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक या विभागीय लेखा परीक्षक या महालेखाकार से सीधा पत्र व्यवहार किया जा सकेगा।

10. पत्र व्यवहार किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा – ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत से या उसकी ओर से किया जाने वाला समस्त पत्र व्यवहार क्रमशः ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से तथा उनके हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा जहाँ आवश्यक हो, पंचायत या उसके अधीनस्थ अभिकरण के सुसंगत संकल्पों सहित होगा।

11. पंच, सदस्य आदि राज्य सरकार या शासकीय प्राधिकारियों से सीधे पत्र–व्यवहार नहीं करेंगे – इन नियमों से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम पचायत का कोई पंच, जनपद

पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य या पंचायत के अधीनस्थ अभिकरण का कोई सदस्य या पंचायत का कोई अधीनस्थ अभिकरण संबंधित पंचायत के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विशय पर राज्य सरकार या शासकीय प्राधिकारियों से सीधे पत्र–व्यवहार नहीं करेगा।

12. केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार से पत्र–व्यवहार करने का वर्जन – कोई भी पंचायत या उसका अधीनस्थ अभिकरण केन्द्र या किसी अन्य राज्य सरकार से सीधे पत्र–व्यवहार नही करेगा।

13. निरसन – इन नियमों के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में अंतिम प्रकाशन की तारीख से मध्यप्रदेश पंचायत (पत्र व्यवहार) नियम, 1964 निरसित हो जाएंगे।

अनुसूची – एक

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शासकीय कर्मचारियों पर कार्यकारी नियंत्रण

क्र. शासकीय कर्मचारी /अधिकारी कार्यकारी नियंत्रण पदस्थापना का स्थान ग्रामीण विकास विभाग

1 सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत विकासखण्ड

2 विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत विकासखण्ड

3 विकास खंड अधिकारी /अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विकासखण्ड

4 विकास खण्ड / जनपद पंचायत में पदस्थ लिपिक संवर्ग का अमला, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जनपद पंचायत विकासखण्ड

5 विकासखण्ड में पदस्थ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री तथा अन्य अधीनस्थ अमला। जनपद पंचायत विकासखण्ड

6 अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला पंचायत जिला पंचायत

7 जिला विकास अधिकारी जिला पंचायत जिला पंचायत

8 जिला पंचायत में पदस्थ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिका अधिकारी) जिला पंचायत जिला पंचायत

9 सहायक यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) अनुविभाग कार्यालय में प दस्थ अन्य अधीनस्थ अमला। जिला पंचायत जिला पंचायत पंचायत विभाग सचिव ग्राम पंचायत / ग्राम सहायक संबंधित ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत

अध्याय छः

संधारित अभिलेख की श्रेणी एवं अभिरक्षा

पंचायत में रखे जाने वाले आवश्यक अभिलेख

1. बैठक पंजी
2. एजेन्डा पंजी
3. पंचों की उपस्थिति पंजी
4. रोकड बही (कैशबुक)
5. रसीद कट्टा
6. रसीद बुक की स्टाक पंजी
7. बिल पंजी
8. वेतन बिल
9. यात्रा भत्ता पंजी
10. मानदेय पंजी
11 आकस्मिक व्यय पंजी
12. प्राप्ति संक्षेप पंजी
13. व्यय पंजी
14. वसूली योग्य अग्रिम पंजी
15. विशिष्ट प्रयोजन अनुदान का लेखा पंजी
16. बंध पत्र (करारनामा)
17. अचल सम्पत्ती की पंजी
18. वाद पंजी
19. अर्थदण्ड पंजी
20. नगद जमा पंजी
21. माल या चल सम्पत्ति की पंजी
22. भण्डार पंजी
23. निराश्रित/वृद्धावस्था पेंशन पंजी
24. परिवार सहायता पंजी
25. निर्धन व्यक्तियों को उधार की पंजी
26. आवक पंजी
27. जावक पंजी
28. डाक टिकट खर्च पंजी
29. मॉग वसूली पंजी
30. जन्ममुत्यु पंजी
31. प्रमाण पत्र पंजी
32. प्रतिभूति पंजी
33. चेक पंजी
34. आवास योजना संबंधी पंजी
35. भवन कर पंजी
36. जल कर पंजी
37. प्रकाशकर पंजी
38. वृत्तिकर पंजी
39. गरीबी रेखा की पंजी
40. मतदाता सूची
41. पशु पंजीयन शुल्क पंजी
42. बाजार फीस वसूली पंजी

43. परिसम्पत्तियों की पंजी
44. निरीक्षण पंजी
45. निशक्त व्यक्तियों की पंजी (ग्राम पंचायतस्तर)
46. अन्य पंजी

जिला एवं जनपद पंचायतों के उक्त सभी अभिलेख अधिनियम की धारा 69 (5) के अनुसार संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अभिरक्षा में तथा ग्राम पंचायत के अभिलेख ग्राम पंचायत के सचिव की अभिरक्षा में रखे जाते है।

अध्याय सात
नीति निर्धारण एवं कियान्वयन में जनप्रतिनिधियों के परामर्श की व्यवस्था

पंचायतराज संस्थाओं में निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते है इनके द्वारा विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित विशयों पर चर्चा एवं परामर्श कर नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया तय की जाती है। इसके अतिरिक्त म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 46 तथा धारा 47 के तहत गठित स्थाई समितियों में भी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जन साधारण की आंकाक्षाओं के अनुरुप विभिन्न विशयों के संबंध में कार्यक्रम तय किए जाते है तथा उनका क्रियान्वयन करवाते है।

अध्याय आठ

नीति निर्धारण व कियान्वयन में जनप्रतिनिधियों से परामर्श की व्यवस्था

पंचायतराज व्यवस्था के अर्न्तगत तीनों स्तर की पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है ।

पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रकिया

धारा 44. सम्मिलन की प्रकिया – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पंचायत के सम्मिलन तथा कामकाज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(2) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के अन्य सदस्यों की, चाहे वे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये हों या नहीं, पंचायतों के सम्मिलन में मत देने का अधिकार होगा।

(3) किसी जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति, तत्समय संबंधित पंचायत गठित करने वाले सदस्यों के एक तिहाई से होगी और ग्राम पंचायत के सम्मिलन के लिये गणपूर्ति तत्समय संबंधित पंचायत गठित करने वाले सदस्यों के आधे से होगी।, यदि सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति न हो तो पीठासीन प्राधिकारी सम्मिलन को ऐसी तारीख और समय तक के लिए स्थगित करेगा जैसा कि उसके द्वारा नियत किया जाए। इस प्रकार नियत किये गये सम्मिलन की सूचना पंचायत के कार्यालय में चिपका दी जाएगी। इस प्रकार स्थगित सम्मिलन के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और कोई नया विशय सम्मिलन के समक्ष विचार के लिये नहीं लाया जाएगा।

(4) अध्यक्ष या सरपंच, यथास्थिति जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत का सम्मिलन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बुलाएगा, यदि अध्यक्ष या सरपंच किसी मास में सम्मिलन बुलाने में असफल रहता है तो (यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ग्राम पंचायत का सचिव) विगत सम्मिलन की तारीख के पश्चात् 25 (पच्चीस) दिन का अवसान होते ही संबंधित पंचायत के सम्मिलन की सूचना जारी करेगा।

(5) ग्राम पंचायत के विगत सम्मिलन तथा चालू सम्मिलन के बीच की कालावधि के आय और व्यय की रिपोर्ट और साथ ही साथ चालू वित्तीय वर्श में चालू सम्मिलन तक की संचयी आय और व्यय की रिपोर्ट किन्हीं अन्य विशयों के साथ–साथ ग्राम पंचायत केसचिव द्वारा ग्राम पंचायत के सामने रखी जाएगी और ऐसी रिपोर्ट पर ग्राम पंचायतद्वारा चर्चा की जाएगी। जनपद पंचायत और जिला की दशा में ऐसी रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उसके सम्मिलन में तीन मास में एक बार रखी जाएगी।

रिपोर्ट ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) यदि पंचायत के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य, पंचायत के विशेश सम्मिलन के लिये लिखित अध्यपेक्षा करते हैं तो यथास्थिति, अध्यक्ष या सरपंच ऐसा सम्मिलन ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने के सात दिन के भीतर बुलायेगा। यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या सरपंच ऐसी अध्यपेक्षा पर सम्मिलन बुलाने में असफल रहता है तो वे सदस्य, जिन्होंने विशेश सम्मिलन के लिये अध्यपेक्षा की है, स्वयं ही सम्मिलन बुला सकेंगे और तदुपरियथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव सम्मिलन की सूचना जारी करेगा।

(7) यदि यथास्थिति, अध्यक्ष या सरपंच, उपधारा (4) या (6) के अनुसार कार्य करने में कम से कम तीन अवसरों पर असफल रहता है तो वह धारा 40 के अधीन उसके पद से हटा दिये जाने के दायित्वाधीन होगा और धारा 40 के उपबंध उसे लागू होंगे जिसे इस प्रकार हटाया गया है।

धारा – 45. पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाये गये विशयों पर पुनर्विचार :– पंचायत द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटा दिये गये किसी विशय पर उसके छह मास के भीतर तब तक

पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की, जो मत देने के लिए हकदार हैं, अभिलिखित सम्मति उसके संबंध में अभिप्राप्त न कर ली गई है या जब तक कि विहित प्राधिकारी ने उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश न दिये हों।

अधीनस्थ अभिकरण

धारा – 46. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां :– (1) ग्राम पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिये, तीन से अनधिक स्थायी समितियां गठित कर सकेगी और ऐसी समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सौंपी जाएं। ये समितियां ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, एक समय में, दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा।

(3) स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और स्थायी समिति के काम काज के संचालन की प्रकिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

47. जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियां :– (1) प्रत्येक जन पद पंचायत और प्रत्येक जिला पंचायत अपने निर्वाचित सदस्यों, में से निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित करेगी, अर्थातः–

क. सामान्य प्रशासन समिति :– जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थापना और सेवाओं, प्रशासन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकम, येाजना, बजट, लेखे कराधान और अन्य वित्तीय मामलों तथ उन विशयों से, जो किसी अन्य समिति को आवंटित कृत्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, संबंधित समस्त विशयों के लिये;

ख. कृशि समिति – कृशि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, कृष्यकरण जिसमें मृदा संरक्षण और समोच्यबंधान (कंटूर बंडिंग) सम्मिलित है, के लिये और मत्स्यपालन, कम्पोष्ट खाद बनाने बीज वितरण, और कृशि एवं पशुधन विकास से संबंधित अन्य विशयों के लिये;

ग. शिक्षा समिति :– शिक्षा के लिये जिसमें प्रौढ़ शिक्षा, सम्मिलित है, निःशक्तों तथा निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, महिला एवं शिशु कल्याण, अस्पृश्यता निवारण बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओला, वृष्टि दुर्भिक्ष, टिड्डीदल तथा अन्य ऐसी आपातिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत के लिये मद्यत्याग या मद्यनिशेद, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण के लिये;

घ. संचार तथा संकर्म समिति – संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण जलप्रदाय जल निकास और अन्य लोक संकर्मों के लिये;

ड. सहकारिता और उद्योग समिति :– सहकारिता, मितव्ययिता और अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी के लिये; (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पांच स्थायी समितियों के अतिरिक्त, जनपद पंचायत या जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से किन्हीं ऐसे अन्य विशयों के लिए, जो उक्त

उपधारा में विनिर्दिष्ट नहीं है एक या अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी।

(2–क) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी समिति को सौंपे गये विशय को जनपद पंचायत या जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी अन्य ऐसी समिति को पुनः आवंटित कर सकेगी या किसी ऐसी समिति को कोई ऐसा विशय सौंप सकेगी जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है। ,

(3) सामान्य प्रशासन समिति में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तथा उपधारा (2) के अधीन गठित समस्त स्थायी समितियों के सभापति होंगे।

(4) सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम पांच सदस्य होंगे जो यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से विहित रीति

में, निर्वाचित किये जाएंगे; परन्तु कोई समिति अधिक से अधिक दो ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी जिन्हें उस समिति को सौपें गये विशयों का अनुभव या विशेश ज्ञान है इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की कार्यवाहियों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

परन्तु यह और भी शिक्षा समिति के सदस्यों में कम से कम 1 महिला तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति होगा।

(4—क) (क) विधान सभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है उस पंचायत की प्रत्येक समितियों का पदेन सदस्य होगा; और

(ख) संसद का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है उस पंचायत में अपनी पसंद की किन्हीं दो समिति का पदेन सदस्य होगा; और

(ग) जिला पंचायत की प्रत्येक समिति, दो से अनधिक ऐसे विधान सभा सदस्यों को जो उस पंचायत के सदस्य हैं, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहयोजित करेगी कि विधान सभा का कोई भी सदस्य दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा।

(5) सामान्य प्रशासन समिति तथा शिक्षा समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति अपने निर्वाचित सदस्यों में से सभापति का निर्वाचन ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में करेगी जैसा कि विहित किया जाए :—

परन्तु —

(एक). यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होगा;

(दो). यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, शिक्षा समिति का पदेन सभापति होगा; और

(तीन). यथास्थिति जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उस समिति से भिन्न किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा, जिसका कि वह इस परन्तुक के खण्ड (एक) तथा (दो) के फलसवरूप सभापति है। ,

(6) प्रत्येक समिति, उसे सौंपे गये विशयों के सम्बन्धमें, यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा किन्हीं ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जो विहित किये जाएं।

(7) कोई भी व्यक्ति, एक ही समय में, तीन से अधिक ऐसी समितियों का, जो सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न हों, सदस्य नहीं होगा।

47—क त्यागपत्र— सामान्य प्रशासन समिति से भिन्न किसी स्थायी समिति का कोई सदस्य तथा सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति से भिन्न किसी स्थायी समिति का सभापति अपना त्यागपत्र व्यक्तिशः यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष को निविदत्त करके अपना पद त्याग सकेगा और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावशील होगा।

47—ख. सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधिमान्यता के संबंध में विवाद — (1) निर्वाचन विवादों से संबंधित धारा 122 और उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंध धारा 46 और 47 के अधीन सदस्य या सभापति के निर्वाचन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) ऐसे निर्वाचन विवादों से संबंधित समस्त विधिक कार्यवाईयां जो राज्य सरकार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, धारा 122 के अधीन अधिकारिता रखने वाले विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अंतरित हो जाएंगी।,

48. सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य :— सरपंच तथा उपसरपंच और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो विहित किये जाएं।

अध्याय – नौ

विभागीय अधिकारियों की डायरेक्ट्री

जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी –

क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	जाति	जन्मतिथि	मूल निवास का पता	वर्तमान पता	पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान पद पर प्रथम नियु	इस कार्या में पदस्था दि.	दुरभाश नम्बर निवास	कार्या कदुरभाश नम्बर
1	श्री राकेश पॅवार	सहा. ग्रेड 2/लेखापाल प्रभारी	सामान्य	13.03.65	बड़नगर उज्जैन	दुर्गा कालोनी घटिया	जनपद पंचायत घटिया	10.07.01	26.07.94		265230
2	श्री नरेन्द्र जीनवाल	सहा.ग्रेड–2	अजा	07.06.61	अलखधाम उज्जैन	विकासखण्ड कालोनी घटिया	जनपद पंचायत घटिया		08.08.05		265230
3	श्री रविन्द्र जाधव	सहा.ग्रेड 3	सामान्य	01.12.80	290 नयापुरा उज्जैन	विकासखण्ड कालोनी घटिया	जनपद पंचायत घटिया	01.06.02	01.06.02		265230
4	श्री इकरार मंसुरी	कम्प्यूटर आपरेटर	पि.वर्ग	01.01.75	पुराना नवोदय विद्यालय घटिया	पुराना नवोदय विद्यालय घटिया	जनपद पंचायत घटिया	दैनिक वेतन भोगी	दे.व.भो		265230
5	श्री माधव सिह बिठौरा	जीप चालक	अजा	25.09.68	नागझिरी उज्जैन	घटिया	जनपद पंचायत घटिया	दैनिक वेतन भोगी	दे.व.भो.		265230
6	श्री बद्रीलाल प्रजापत	भृत्य	पि.वर्ग	06.06.55	घटिया	घटिया	जनपद पंचायत घटिया	23.02.84	23.02.84		265230
7	श्री बापूनाथ योगी	भृत्य	पि.वर्ग	01.04.59	ढाबलागौरी	ढाबलागौरी	जनपद पंचायत घटिया	01.01.93	01.01.93		265230

(विकासखण्ड)जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी –

क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	जाति	जन्मतिथि	मूल निवास का पता	वर्तमान पता	पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान पद पर प्रथम नियक्ति	इस कार्यालय में पदस्थाप	दुरभाश नम्बर निवास	कार्यालय का दुरभाश नम्बर

								दि.	ना दि.		
1	श्री एम.एस.ठाकुर	सी.ई.ओ.	सामान्य	05.02.60	कलापिपल्या तह.महिदपुर	ब्लॉक कॉलोनी, घटिया	जनपद पंचायत घटिया	28.05.98	28.06.04	2580190	265230
2	श्री के.के.व्यास	उपयंत्री	सामान्य	03.05.54	शास्त्रीनगर उज्जैन	शास्त्रीनगर उज्जैन	जनपद पंचायत घटिया		07.09.04	0	265230
3	श्री टी.एस.चौहान	उपयंत्री	सामान्य	04.04.57	टुकराल तराना	घटिया	जनपद पंचायत घटिया	14.11.80	18.08.05	26203	265230
5	श्री एम.के.गुप्ता	ए.डी.ई.ओ	सामान्य		159/3 जानकीनगर कालोनी गडकालिका रोड उज्जैन	159/3 जानकीनगर कालोनी गडकालिका रोड उज्जैन	जनपद पंचायत घटिया				265230
6	श्री एस.सी.द्विवेदी	ए.डी.ई.ओ	सामान्य		इंदौर	सी–6 तृप्ति विहार, उज्जैन	जनपद पंचायत घटिया				265230
7	श्री बी.एल.परमार	ए.डी.ई.ओ	अजा		उज्जैन	डी–2 तृप्ति विहार, उज्जैन	जनपद पंचायत घटिया				265230
8	श्री रामबाबू शर्मा	ए.डी.ई.ओ	सामान्य				जनपद पंचायत घटिया				265230
9	श्री श्रीधर देसाई	ए.डी.ई.ओ	सामान्य		जिला राजगढ	अलखनंदा, उज्जैन	जिला पंचायत उज्जैन				265230
10	श्री भेरूलाल डाबी	भ्रत्य	पि.वर्ग		जलवा	जलवा	जनपद पंचायत घटिया				265230
11	श्री रामप्रसाद चौहान	चौकीदार	पि.वर्ग		घटिया	घटिया	जनपद पंचायत घटिया				265230

अध्याय दस

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान विवरण

पंचायतराज संस्थाओं के अधिकारियों के लिए म.प्र.पंचायत सेवा(भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1999 प्रभावशील है । अध्याय पॉच में इन नियमों में संलग्न अनुसूची एक अवलोकनीय है ।

जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी –

क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	जाति	जन्मतिथि	वर्तमान पद पर प्रथम नियक्ति दि.	इस कार्यालय में पदस्थापना दि.	मूल वेतन	ग्रास	नेट राशी
1	श्री राकेश पॅवार	सहा. ग्रेड2 / लेखापाल प्रभारी	सामान्य	13.03.65	10.07.01	26.07.94	4800	8152	5426
2	श्री नरेन्द्र जीनवाल	सहा.ग्रेड–2	सामान्य	07.06.61		08.08.05	5000	8475	7575
3	श्री रविन्द्र जाधव	सहा.ग्रेड 3	सामान्य	01.12.80	01.06.02	01.06.02	3275	5689	5296
4	श्री इकरार मंसुरी	कम्प्युटर आपरेटर	पि.वर्ग	01.01.75	05.02.04	05.02.04	2548		2548
5	श्री माधव सिह बिठौरा	वाहन चालक	अजा	25.09.68	23.09.96	23.09.96	2548		2548
6	श्री बद्रीलला प्रजापत	भृत्य	पि.वर्ग	06.06.55	23.02.84	23.02.84	3200	5568	5184
7	श्री बापूनाथ योगी	भृत्य	पि.वर्ग	01.04.59	01.01.93	01.01.93	3080	5374	3476

(विकासखण्ड)जनपद पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी –

क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	जाति	जन्मतिथि	वर्तमान पद पर प्रथम नियक्ति दि.	इस कार्यालय में पदस्थापना दि.	मूल वेतन	ग्रास	नेट राशी

अध्याय ग्यारह
जिलो को योजनावार आवंटित बजट

विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के उदेश्य से विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2005–06 में पंचायत राज संस्थाओं को बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराई गई है।

धारा – 73. बजट तथा वार्शिक लेखे – (1) प्रत्येक पंचायत, प्रतिवर्श ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में तथा ऐसी तारीख तक, जैसा विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्श के लिए अपनी प्राप्तियों तथा व्यय के बजट का प्राक्कलन तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए बजट प्राक्कलन ऐसे प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रीति में जैसा विहित किया जाए, अनुमोदित किए जायेंगे।

(3) पंचायतों द्वारा वार्शिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को विहित रीति में प्रस्तुत की जाएगी।

योजनावार बजट प्रावघान वर्श 2005–06

प्रारूप एक – जे.पी.बी.ई. – 2

(नियम 11 देखिये)

जनपद पंचायत घटिया जिला उज्जैन का दिनांक 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक की अवधि का संभावित प्राप्ति एवं व्यय का बजट अनुमान

क्र.	बजट कोड	बजट शीर्ष	गतवर्श के वास्तविक आंकड़े 2003–04	चालू वर्श के अनुमान 2004–05	31 दिसं. 04 तक के वास्तविक आंकड़े	चालू वर्श के लिये पुनरीक्षित अनुमान	आगामी कार्य के लिए अनुमान 2005–06
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5000	प्राप्तियां :					
		1 अप्रैल को प्रारंभिक अतिशेश	1806093	1151244	0	0	1181244
		1 नगदी					
		2 बैंक पोस्ट ऑफिस/कोशालय में नगदी (अनुदानों का व्यय न किया गया अतिशेश सम्मिलित करते हुए)					
		योग					
2	5001-5999	आय :					
	5001-5049	करों से आय :					
	5001	मनोरंजन कर					
	5002	कृशि भूमि पर विकास कर					
	5003	अनुज्ञप्ति फीश					

	5004	नौकाघाट से प्राप्तियां					
	5005	मत्स्य, टूंडों एवं फार्मों की अनुज्ञप्ति फीश					
	5006	जुर्माने एवं सास्तिया खनिज रायल्टी अर्थदंड					
	5007	अन्य कर का उल्लेख करें गौण खनिज रायल्टी					
	5008	खदान निलामी धरोहर 12 प्रतिशत					
	5009	खदान निलामी धरोहर 30 प्रतिशत					
	5010	खदान निलामी अमानत(ग्रा.पं.)					
	5050-5099	अन्य आय : पदाधिकारी मानदेय	80000	80000	48600	0	80000
	5051	भवन किराया	22680	25000	11340	0	25000
	5052	जनपद पंचायत में निहित सरकारी संपत्ति से पाप्त भाड़ा प्रस्तावित दुकानों के निर्माण पश्चात् प्राप्त होने वाला भाड़ा 25 दूकान					
	5053	विनियोगों पर प्राप्त ब्याज					
	5054	बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज	115191	100000	64928	0	150000
	5055	ऋण/अग्रिम पर प्राप्त ब्याज					
	5056	स्टॉक/अस्तियों के विक्रय से आय	0	1000	0	0	0
	5057-5099	विविध प्राप्तियां उल्लेख करें :					
	5057	निलामी अमानत राशि	136	1000	732	0	1000
	5058	लघु प्राप्तियां दुकान निलामी से आय	0	0	0	0	250000
	5059	प्रस्तावित 35 दुकानों की निलामी से प्राप्त आय					
	5060	जनभागीदारी 50 प्रतिशत					
	5061	11 वां वित्त आयोग		25000	87500	0	100000
	5062	क्षिप्रा शुद्धिकरण					
	5063	जनसंपर्क निधि/जनसहयोग					
	5064	संविदा/शिक्षाकर्मी नियुक्ति पंजीयन शुल्क					
	5065	जनसंपर्क – जनसहयोग 10प्रति.					
	5066	सूखा राहत					
	5067	यूनिसेफ					
	5068	10 वां वित्त आयोग	0	0	0	0	0
	5069	जवाहर ग्राम समृद्धि प्रशिक्षण					
	5070	विधानसभा निर्वाचन क्षैत्र					
	5071	सांसद स्थानीय क्षैत्र (लोकसभा)					
	5072	सांसद स्थानीय क्षैत्र (राज्यसभा)					
	5073	परिवहन व्यय					
	5074	बी.पी.एल सर्वे अनुदान					

	5075	संविदा शिक्षक सेवा छोडने पर					
	5076	12 वॉ वित्त आयोग					
	6000	राज्य सरकार से सहायता अनुदान :					
	6000	ग्राम न्यायालय मानदेय एवं भत्ता					
	6001-6009	ग्रामीण विकास कायक्रम :					
	6001	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण योजनाओं के लिये अनुदान– जीवनधारा सिंचाई कूप वसूली					
	6002	ग्रामीण आवास योजना के लिये अनुदान– प्रधानमंत्री					
	6003	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिये अनुदान	0	1131727	3152300		500000
	6004	ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संर्वेक्षण के लिये अनुदान, प्रशिक्षण आदि					
	6005	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रिवाल्विंग फड					
	6006-6009	अन्य योजनाएं :					
	6006	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अधोसंरचना					
	6007	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रशिक्षण					
	6008	इंदिरा आवास योजना					
	6010-6019	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं उर्जा :					
	6010	गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतेां के उन्नयन एवं विकास के लिये अनुदान					
	6011	खंड स्तर पर ऊर्जा विकास योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिये अनुदान					
	6012-6019	अन्य योजना का उल्लेख करें :					
	6020-6029	खादी ग्रामोद्योग ग्रामीण उद्योग					
	6020	प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, सेमीनार तथा अन्य उन्नत क्रियाकलापों क लिये अनुदान					
	6021	रेशम उत्पादन योजनाओं के उन्नत तथा विकास के लिये अनुदान					
	6022	प्रशिक्षण, सह उत्पादन केंद्र की स्थापना एवं अनुरक्षण`के लिये अनुदान					
	6023-6029	अन्य योजना का उल्लेख करें :					

	6030-6039	वन तथा सामाजिक वानिकी योजना का विकास :						
	6030	सड़क के किनारों तथा अन्य भूमियों पर वृक्षारोपण के लिये अनुदान						
	6031	जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण ओर चरागाह के लिये क्षेत्रों के विकास के अनुदान						
	6032	कृशि वानिकी के उन्नयन तथा विकास के लिये अनुदान						
	6033	पौध शालाओं की स्थापना अनुरक्षण के लिये अनुदान						
	6034-6039	अन्य योजना का उल्लेख करें :						
	6040-6049	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी :						
	6040	हेंडपंपों की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिये अनुदान						
	6041	नारू रोग उन्मूलन के लिए अनुदान						
	6042-6049	अन्य योजना का उल्लेख करें :						
	6050-6059	लोक निर्माण विभाग :						
	6050	सड़क, नाले, पुलिया आदि के निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण के लिये अनुदान						
	6051	जनपद पंचायत में निहित भवन की मरम्मत और अनुरक्षण के लिये अनुदान						
	6052	जलमार्गो के विकास के लिये अनुदान						
	6053	भवनों आदि के निर्माण के लिये अनुदान						
	6054-6059	अन्य योजनाओं के लिये अनुदानः—उल्लेख करेंः						
	6060-6069	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण योजनाएं :						
	6060	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के उन्नयन के लिये अनुदान						
	6061	इम्यूनाइजेशन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अनुदान						
	6062	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ओशाधालयों के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण के लिए अनुदान						

	6063	क्षय, मलेरिया, फायलेरिया, अंधत्व एवं एड्स आदि के लिये उन्मूलन तथा नियंत्रण के लिये अनुदान				
	6064-6069	अन्य योजनाएं :– उल्लेख करें :				
	6070-6079	महिला एवं बाल विकास :				
	6070	एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के लिये अनुदान				
	6071	महिला जागृती शिविरों के आयोजन के लिय अनुदान				
	6072-6079	अन्य योजनाएं :– उल्लेख करें :				
	6080-6089	समाज कल्याण योजनाएं :				
	6080	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिये अनुदान				
	6081	ग्रंथालयों और वाचनालयों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिये अनुदान				
	6082	विकलांग छात्रों की छात्रवृत्ति के लिये अनुदान				
	6083-6089	अन्य योजनाओं के लिये अनुदानः–उल्लेख करेंः				
	6083	निःशक्तता से बाधित पुर्नवास विकलांग शिविर				
	6084	राष्ट्रिय परिवार सहायता योजना				
	6085	राष्ट्रिय वृद्धावस्था पेंशन				
	6086	बेरोजगारी भत्ता				
	6087	पंच/सरपंच प्रशिक्षण				
	6088	मद्य निशेध				
	6089	ग्रामसभा सुदृढीकरण				
	6090-6099	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पि.वर्गो के लिये कल्याण कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप :				
	6090	शाला भवनों के निर्माण के लिए अनुदान				
	6091	प्राथमिक शालाओं को चलाने और अनुरक्षण के लिये अनुदान				
	6092	माध्यमिक शालाओं के लिये अनुदान				
	6093	उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिये अनुदान				
	6094	छात्रावासेंा के लिये अनुदान (मरम्मत)				
	6095	कन्या साक्षरता के लिये अनुदान				

	6096	छात्रों एवं अन्यों को छात्रवृत्ति के लिये अनुदान				
	6097	साक्षरता जागृति कार्यक्रमों के लिये अनुदान				
	6098-6099	अन्य योजनाओं के लिये अनुदानः–उल्लेख करें:				
	6098	अनाबद्ध राशि आदिम जाति सघन विकास				
	6099	शिक्षा/सूचना/संचार गतिविधि				
	6100-6109	पशु चिकित्सा, पशुपालन, डेरी और कुरकुट विकास :				
	6100	पशु चिकित्सालय निर्माण के लिये अनदान				
	6101	चलित तथा पशु चिकित्सालयों के लिये अनुदान				
	6102	पशु चिकित्सालयों एवं पशु स्वास्थ्य केंद्रों का चालन और अनुरक्षण के लिये अनुदान				
	6103	पशु प्रजनन केंद्रों के लिये अनुदान				
	6104	पशु रोग निवारण तथा नियंत्रण के लिये अनुदान (पशु औषधि	2000	2000	0	0	2000
	6105	ग्रामीण दुग्ध विकास योजनाओं के लिये अनुदान				
	6106	चारासंग्रह तथा पूर्ति के लिए अनुदान				
	6107-6109	अन्य योजनाओं के लिये अनुदानः–उल्लेख करें:				
	6110-6119	मत्स्य पालन उन्नयन तथा विकास :				
	6110	मत्स्य पालन कार्यक्रम के लिये अनुदान				
	6111-6119	अन्य योजनाओं के लिये अनुदानः–उल्लेख करें: (मत्स्य पालन तालाब पट्टा)	22506	25000	26012	0	30000
	6120-6129	कृषि उन्नयन तथा विकास :				
	6120	बीज प्राप्ति तथा पूर्ति के लिये अनुदान				
	6121	खाद्य प्राप्ति तथा पूर्ति के लिये अनुदान				
	6122	कीटनाशक पेस्टीसाइड की प्राप्ति के लिये अनुदान				
	6123	मिनी के वितरण के लिये अनुदान				

	6124	लघु सिंचाई के लिये कुंआ के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए अनुदान					
	6125	लघु सिंचाई योजना के निर्माण के लिए अनुदान					
	6126	लघु सिंचाई चलाने एवं अनुरक्षण के लिए अनुदान					
	6127-6129	अन्य योजनाओं के लिये अनुदानः—उल्लेख करें:					
	6127	फसल कटाई प्रयोग					
	6130-6139	उद्यानिकी विकास कार्यक्रम :					
	6130	पौध शालाओं की स्थापना तथा उन्हें चलाने के लिये अनुदान					
	6131	कृशकों को प्रशिक्षण के लिये अनुदान					
	6132	उपकरणों का क्रय/मरम्मत तथा व्यवसाय के लिये अनुदान					
	6133	प्रदर्शनियों के लिये अनुदान					
	6134	उद्यानिकी तथा विकास के लिये अनुदान					
	6135-6139	अन्य योजनाओं के लिये अनुदानः—उल्लेख करें:					
	6140-6149	भूमि उन्नयन तथा मृदा संरक्षण :					
	6140	भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिये अनुदान					
	6141-6149	अन्य योजनाओं के लिये अनुदानः—उल्लेख करें:					
	6150-6159	शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये अनुदान :					
	6150	शाला भवन निर्माण—डीपीइपी					
	6151	शाला भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण—म.प्र.पाठ्यपुस्तक निगम					
	6152	स्कूलों को चलाना					
	6153	पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करना तथा आपूर्ति करना					
	6154	सर्वशिक्षा अभियान					
	6155-6159	अन्य योजनाएं :— उल्लेख करें :					
	6155	मध्यान्ह भोजन कार्यकम					
	6156	संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 मानदेय					
	6157	संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 मानदेय					
	6158	शिक्षा उपकर					

	6159	शिक्षा गारंटी मानदेय					
	6160-6169	खेल तथा मुद्रा कल्याण क्रियाकलापों के लिए अनुदान :					
	6160	ग्रामीण खेल (स्पोर्ट मीट)					
	6161-6169	अन्य क्रियाकलाप – उल्लेख करें :					
	6170-6179	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति कार्यक्रम :					
	6170	आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का पर्यवेक्षण					
	6171-6179	अन्य योजनाएं :– उल्लेख करें :					
	6180-6189	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी :	0	0	0	0	0
	6190-6199	श्रम, जनशक्ति नियोजन :					
	6200-6209	राजस्व विभाग : अन्य योजनाएं उल्लेख करें :					
	6210-6219	वित्त विभाग : अन्य योजनाओं का उल्लेख करें:					
	6220-6229	जल संसाधन विभाग :					
	6220	ट्यूबवेल के लिये सबसिडी					
	6221	कुंओं के लिये अनुदान					
	6222-6229	अन्य योजनाएं :– उल्लेख करें :					
	6600-6699	पंचायत राजनिधि से सहायता अनुदान :					
	6600	प्राप्त भू–राजस्व में अंश					
	6601	संग्रहित अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में अंश (मुद्रांक शुल्क)	1052995	1000000	220446	0	500000
	6602	अधिनियम की धारा 77 के अधीन उदगृहीत उपकर में अंश					
	6603-6609	म.प्र. पंचायतराज निधि से अन्य प्राप्तियां :	117849	120000	69285	0	150000
	6603	वाणिज्य कर (ग्रा.पं.)					
	6700-6799	सरकार से सामान्य/विशेश अनुदान :					
	6700	पंचायत कर्मियों हेतु मानदेय					
	6701	जनपद/ग्राम पंचायत मानदेय भत्ता					
	6702	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का मानदेय					
	6703	सदस्यों का भत्ता					
	6704	सरपंच वार्शिक मानदेय					
	6800-6999	जिला पंचायत से अंशदान :					

	6801	जिला पंचायत राजनिधि				
	7000-7099	पूंजीगत प्राप्तियां तथा समायोजन :				
	7000-7099	(क) ऋण				
	7000	सरकार से ऋण				
	7001	जिला पंचायत से ऋण				
	7003	बैंकों से ऋण				
	7004-7099	अन्य ऋण (कृपया स्त्रोतों का उल्लेख करे) :				
	7100-7199	(ख) जनपद पंचायत द्वारा प्रतिभूति तथा अन्य जमा की प्राप्तियां				
	7100	प्राप्त प्रतिभूति जमा				
	7101	प्राप्त बयाना धन				
	7102-7199	अन्य प्राप्त जमा : उल्लेख करें :				
	7102	दूकान निर्माण आंशिका वापस जमा				
	7103	चरनोई भूमि				
	7104	स्वसहायता प्रशिक्षण				
	7105	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना				
	7106	मूलभूत सुविधा धारा 49				
	7107	सूचना के अधिकार				
	7108	गौण खनिज परिवहन कट्टो की राशि				
	7109	अनुरक्षण कार्य हेतु				
	7110	सार्वजनिक संपदा पुरस्कार ग्रा.पं				
	7111	मध्यान्ह भोजन चेक निरस्त जमा				
	7112	समग्र स्वच्छता कार्यशाला				
	7113	लेखापाल से धरोहर				
	7114	दुकान निलामी अमानत				
	9000-9099	(ग) जनपद पंचायत द्वारा जमा की वसूली :				
	9000	प्रतिभूति जमा की वसूली				
	9001	जमा बयाना धन की वसूली				
	9002-9099	की गई अन्य जमा की वसूली उल्लेख करें :				
	9002	पंचायत निर्वाचन अग्रिम				
	9003	ऑडिट आपत्ति				
	9004	एग्रों विकास टूल्स किट्स				
	9100-9199	(घ) ग्राम पंचायत तथा अन्यों से ऋण तथा जमा की वसूली	0	10000	20000	0	0
	9100	ग्रा.पं.अगिम जमा				
	9101	सिटीजन विकास पट्टिका ग्रा.पं.				
	9102	पंचायत प्रेस स्टेशनरी ग्रा.पं.				
	9200-9299	अन्यों से ऋणों की वसूली – उल्लेख करें :				

	9300-9399	(ड़) कर्मचारियों के ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली :	0	0	10500	0	0
	9300	वाहन ऋण की वसूली					
	9301	भवन निर्माण ऋण की वसूली (भू–खण्ड क्रय)	11000	30000	19136	0	30000
	9302	सामान्य भविष्य निधि/भविष्य निधि अंशदान की वसूली भविष्य निधि ऋण	17005 0	50000 25000	13635 6543	0 0	15000 50000
	9303	अनाज अगिम की वसूली	8000	10000	0	0	10000
	9304	यात्रा अग्रिम की वसूली					
	9305	त्यौहार अग्रिम की वसूली	1260	3000	0	0	3000
	9306	कर्मचारी वृन्द से अन्य अग्रिमों की वसूली	31000	0	0	0	0
	9307-9399	बाहरी व्यक्तियों से अग्रिम की वसूली :	66947	0	0	0	0
	9307	जनपद सदस्य अग्रिम वसूली					
	9308	पशु ओशधी अग्रिम जमा					
	9309	एस.जी.एस.व्हॉय अग्रिम जमा					
	9310	संविदा शिक्षक वर्ग 2 वसूली					
	9311	भविष्य निधि आहरण जमा					
	9312	कम्रचारी वृत्ति कर					
	9313	संविदा शिक्षक भर्ती अग्रिम जमा					
	9314	सूखा राहत अग्रिम समायोजन					
	9315	यूनिसेफ अग्रिम जमा योजना					
	9316	शा.आवास विद्युत बिल राशि					
	9317	जीप मरम्मत हेतु अग्रिम जमा					
	9318	दूकान निलामी से प्राप्त					
		प्राप्तियों का कुल योग	**1548559**	**1482000**	**0**	**0**	**1296000**

प्रारूप एक – जे.पी.बी.ई. – 2

(नियम 11 देखिये)

जनपद पंचायत घटिया जिला उज्जैन का दिनांक 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक की अवधि का संभावित प्राप्ति एवं व्यय का बजट अनुमान

क्र	बजट कोड	बजट शीर्ष	गतवर्श के वास्तविक आंकड़े 2003–04	चालू वर्श के अनुमान 2004–05	31 दिसं. 04 तक के वास्तविक आंकड़े	चालू वर्श के लिये पुनरीक्षित अनुमान	आगामी कार्य के लिए अनुमान 2005–06
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		व्यय :					
	8000-8999	(क) राजस्व व्ययः					
	8000-8099	(एक) प्रशासकीय व्यय :					
	8000	कर्मचारी वृन्द तथा अधिकारियों को वेतन तथा पारिश्रमिक (महंगाई भत्ता, शहरी प्रतिकर भत्ते अंतरिम राहत, गृह भाड़ा भत्ता, जीप चालक वेतन तथा अन्य सम्मिलित करते हुए)	486899	600000	312452	0	50000
	8001	भविष्य निधि अंशदान	34010	50000	13686	0	30000
	8002	चिकित्सा व्यय की पूर्ति	24000	30000	18000	0	30000

	8003	कर्मचारियों को बोनस/अनुगृह राशि/एरियर					
	8004	उपादन संदाय					
	8005	कर्मचारी वृन्द के लिये किराये पर दिये गये आवास का किराया					
	8006	अध्यक्ष को मानदेय	12000	18000	13500	0	18000
	8007	उपाध्यक्ष को मानदेय	7800	14000	10350	0	14000
	8008	पंचायत सम्मिलन के लिये बैठक फीश/भत्ता (सदस्य भत्ता)	60200	48000	36000	0	48000
	8009	कर्मचारी वृन्द का यात्रा व्यय	15888	25000	11242	0	25000
	8010	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का यात्रा व्यय	0				
	8011	सम्मिलन व्यय/बैठक स्वल्पाहार/चाय	4104	15000	2067	0	15000
	8012	वाहन चालक तथा अनुरक्षण व्यय (टायर ट्यूब तथा बैटरी बदलना सहित) जीप मरम्मत/डीजल	85266	10000	61974	0	70000
	8013	पंचायत के कार्यालयीन कार्य में उपयोग हेतु किराये पर लिये गये भवन के कार्यालय स्थान का किराया					
	8014	विद्युत तथा जल प्रभार	22129	20000	14137	0	20000
	8015	मुद्रण व लेखन सामग्री	29366	40000	21382	0	40000
	8016	डाक टिकिट व्यय	300	2000	200	0	2000
	8017	दूरभाश व्यय	33620	40000	9457	0	20000
	8018	मनोरंजन व्यय					
	8019	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	4022	6000	4124	0	7000
	8020	विज्ञापन तथा प्रचार (जि.पं.को भुगतान)	98960	10000	2100	0	5000
	8021	भवनों एवं संपत्तियों की मरम्मत	0	50000	4053	0	20000
	8022	सामान्य मरम्मत रंगाई/पुताई	15072	15000	0	0	10000
	8023	कार्यालय का सामान्य अनुरक्षण तथा चालु रखनेपर व्यय – भ्रत्य ड्रेस आदि					
	8024	विविध व्यय आदि	22732	40000	25868	0	40000
	8025	बैंक प्रभार (ड्राफ्ट बनाने पर कमीशन तथा बैंक द्वारा उद्ग्रहित संग्रहण प्रभार)	185	1000	25	0	1000
	8026	विधिक व्यय	3500	10000	1000	0	5000
	8027	संपरीक्षा फीस	16500	40000	0	0	60000
	8028	बीमा प्रभार					
	8029	ऋणों पर ब्याज – उल्लेख करें :					
	8030	स्थानीय वाहन प्रभार					
	8031	ढुलाई एवं यातायत प्रभार					
	8032	अतिक्रमण हटाने संबंधी व्यय					
	8033	स्थानों का अनुरक्षण तथा विकास					
	8034	महामारी/आपदा से राहत व्यय					
	8035	उत्सव एवं त्यौहार/राष्ट्रीय पर्व	2289	5000	1447	0	5000
	8036	धार्मिक तथा धूर्त व्यय पंचक्रोशी यात्रा अनुदान	63000	60000	0	0	10000
	8037	संदर्त्त सहायता अनुदान – भृत्य वर्दी	585	5000	1527	0	5000
	8038-8099	अन्य व्यय : दैनिक वेतन भोगी अन्य व्यय	7395 179648	7000 0	45734 0	0 0	70000 0
	8038	सरपंच वार्शिक भत्ता					
	8039	पंचायतकर्मी मानदेय					
	8040	दुकान निर्माण संबंधी व्यय					
	8041	पंचायत निर्वाचन व्यय					
	8042	खदान निलामी व्यय					

	8043	जनसंपर्क भ्रमण निधि					
	8044	दूकान में विद्युत फिटिंग					
	8045	गौण खनिज रायल्टी अमानत					
	8046	जनसहयोग विकास कार्य राशि वापस					
	8047	शिक्षा / संचार / सूचना गतिविधि / मार्गदर्शिका छपवाना					
	8048	ग्रामीण विकास कार्यकम सर्वेक्षण प्रशिक्षण जवाहर ग्राम समृद्धि					
	8049	स्वर्ण जयंति ग्रामस्वरोजगार चकीय राशि					
	8050	जनभागीदारी 50 प्रतिशत					
	8051	अनुरक्षण कार्य					
	8052	संविदा शिक्षक वर्ग 2 मानदेय					
	8053	शिक्षा गारंटी गुरूजी मानदेय					
	8054	क्षिप्रा शुद्धिकरण					
	8055	सूखा राहत					
	8056	यूनिसेफ					
	8057	सूखा राहत वापसी					
	8058	संविदा शिक्षक वर्ग 3 मानदेय					
	8059	जीवनधारा सिंचाई कूप					
	8060	जवाहर रोजगार जिला					
	8061	यूनिसेफ जि.पं. को वापस					
	8062	सिटीजन चॉर्टर विकास पट्टिका					
	8063	एस.जी.एस.व्हॉय ऋण					
	8064	जनपद सदस्य भत्ता					
	8100-8500	राज्य सरकार से प्राप्त निधियों पेटे व्यय :					
	8100-8109	ग्रामीण विकास कार्यक्रम :					
	8100	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारी के योजना व्यय					
	8101	ग्रामीण आवास योजना व्यय – एस.जी.एस.व्हॉय					
	8102	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना		1507323	2476977		4229564
	8103	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सर्वेक्षण पर व्यय					
	8104	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण					
	8105-8109	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8105	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार अधोसंरचना					
	8106	इंदिरा आवास					
	8107	बीपीएल सर्वे कार्यकम					
	8108	प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास					
	8109	मास्टर ट्रेनर्स मानदेय					
	8110-8119	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं उर्जा व्यय					
	8112-8119	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8120-8129	खादी ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगों पर व्यय :					
	8120	प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, सेमीनार तथा अन्य प्रोन्नत क्रियाकलापों पर व्यय					
	8121	रेशम उत्पादन के उन्नयन तथा विकास पर व्यय					
	8122	प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रो की स्थापना तथा अनुरक्षण पर व्यय					
	8123-8129	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					

	8130-8139	वन तथा सामाजिक वानिकी के विकास पर व्ययः					
	8130	सड़कों के आजू – बाजू तथा अन्य भूमि पर वृक्षारोपण व्यय					
	8131	जलाऊ लकड़ी के वृक्षारोपण तथा चरागाह मैदानों के विकास पर व्यय					
	8132	कृशि वानिकी के उन्नयन तथा विकास पर व्यय					
	8133	पौध शालाओं की स्थापना तथा अनुरक्षण पर व्यय					
	8134-8139	अन्य व्यय – उल्लेख करें : पंचवन भू–राजस्व	289	1000	0	0	1000
	8140-8149	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व्यय :					
	8140	हेंडपंपों की मरम्मत तथा अनुरक्षण					
	8141	नारू रोग उन्मूलन					
	8142-8149	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8150-8159	लोक निर्माण – मरम्मत तथा अनुरक्षण					
	8150	लोक निर्माण – मरम्मत तथा अनुरक्षण					
	8151	जनपद पंचायत में निहित भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण					
	8152	जल मार्गो का विकास					
	8153	भवनों का निर्माण					
	8154-8159	अन्य व्यय उल्लेख करें :					
	8160-8169	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर व्यय :					
	8160	लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का उन्नयन					
	8161	इक्यूनाइजेशन व्यय					
	8162	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सालयों का प्रबंध तथा पर्यवेक्षण					
	8163	क्षय, मलेरिया, फाइलेरिया, अंधत्व, एड्स आदि पर नियंत्रण तथा उन्मूलन व्यय					
	8164-8169	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8170-8179	महिला एवं बाल विकास पर व्यय :					
	8170	एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम पर व्यय					
	8171	महिला जागृति शिविरों का आयोजन					
	8172-8179	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8180-8189	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गो की कल्याण योजनाएं तथा क्रियाकलाप					
	8180	शाला भवनों का निर्माण					
	8181	प्राथमिक शालाओं का चालन तथा अनुरक्षण					
	8182	माध्यमिक शालाओं का चालन तथा अनुरक्षण					
	8183	उच्चतर मा. शा. का चालन तथा अनुरक्षण					
	8184	छात्रावासों का चालन तथा अनुरक्षण					
	8185	कन्या साक्षारता कार्यक्रम व्यय					
	8186	छात्रों तथा अन्य को छात्रवृत्ति					
	8188-8189	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8188	अनाबद्ध राशि आदिम जाति– अजा बस्ती सघन विकास					
	8189	अनाबद्ध राशि वापस					
	8190-8199	पशु चिकित्सा, पशुपालन, डेयरी तथा कुक्कुट पालन विकास पर व्यय					
	8190	पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण					

	8191	चलित पशु चिकित्सालय के लिये अनुदान					
	8192	पशु चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रो का चालन तथा अनुरक्षण					
	8193	पशु प्रजनन केंद्र व्यय					
	8194	पशु रोग निवारण तथा नियंत्रण/पशु औषधि	4000	4000	0	0	4000
	8195	ग्रामीण दुग्ध विकास कार्यक्रम पर व्यय					
	8196	चारा उपाप्ति तथा आपूर्ति					
	8197-8199	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8200-8209	मत्स्य उद्योग उन्नयन तथा विकास व्यय :					
	8200	मत्स्य उद्योग विकास पर व्यय					
	8201-8209	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8210-8219	कृशि उन्नयन तथा विकास :					
	8210	मांग उपाप्ति तथा आपूर्ति					
	8211	खाद्य उपाप्ति तथा आपूर्ति					
	8212	कीटनाशक पेस्टी साईडों की उपाप्ति तथा आपूर्ति					
	8213	मीनी किट्स व्यय					
	8214	कुओं का निर्माण तथा अनुरक्षण					
	8215	लघु सिंचाई योजना निर्माण व्यय					
	8216	लघु सिंचाई योजना चालन एवं अनुरक्षण व्यय					
	8217-8219	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8220-8229	उद्यानिकी विकास पर व्यय:					
	8220	कृशकों की पोध शालाओं का चालन तथा स्थापना व्यय					
	8221	प्रशिक्षण व्यय					
	8222	उपकरणों का क्रय, मरम्मत तथा अनुरक्षण					
	8223	प्रदर्शनी व्यय					
	8224	उद्यान कृशि, उन्नयन तथा विकास					
	8225-8229	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8230-8239	भूमि विकास तथा मृदा संरक्षण व्यय :					
	8230	भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन व्यय					
	8231-8239	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8231	चरनोई भूमि सुधार कार्यकम					

	8240-8249	शैक्षणिक व्यय :					
	8240	शाला भवनों के निर्माण पर व्यय डीपीईपी					
	8241	शाला भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय –प्रधानमंत्री ग्रामोदय यो.					
	8242	स्कूलों को चलाने का व्यय					
	8243	पाठ्य पुस्तको, उपाप्ति तथा आपूर्ति पर व्यय					
	8244	मध्यान्ह भोजन कार्यकम					
	8245	छात्रों को संदाय की गई छात्रवृत्तियां					
	8246-8249	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8246	म.प्र.पाठ्यपुस्तक नि.–डीपीइपी					
	8247	सर्व शिक्षा अभियान					
	8248	संविदा/शिक्षाकर्मियों की नियुक्तियों पर व्यय					
	8249	शिक्षा उपकर					
	8250-8259	खेल तथा युवा कल्याण क्रियाकलाप :					
	8250	ग्रामीण खेल समारोह व्यय	6442	5000	0	0	4000
	8251	महिला खेल समारोह व्यय					
	8252-8259	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8260-8269	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति कायक्रम :					
	8260	अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर व्यय					
	8261-8269	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8270-8279	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी व्यय :					
	8270	विधानसभा स्थानीय क्षैत्र					12.00
	8271	सांसद स्थानीय क्षैत्र(लोकसभा)					2.51
	8272	सांसद स्थानीय क्षैत्र(राज्यसभा)					1.50
	8273	अनाबद्ध राशि वापस यो.म.					
	8280-8289	श्रम तथा जनशक्ति नियोजन व्यय :					
	8290-8299	राजस्व विभाग व्यय :					
	8300-8309	वित्त विभाग व्यय :					
	8300	10 वां वित्त आयोग					
	8301	11वां वित्त आयोग		2137429	450071	0	717400
	8302	12 वां वित्त आयोग		0	0	0	0
	8310-8319	जल संसाधन व्यय :					

	8310	ट्यूबवेल के लिये सबसिड़ी					
	8311	कुओं को दिये गये अनुदान					
	8312-8319	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8320-8329	समाज कल्याण योजनाएं :					
	8320	सासुपे					
	8321	ग्रंथालयों तथा वाचनालयों की स्थापना तथा अनुरक्षण					
	8322	विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति/ट्रायसेम					
	8323-8329	अन्य व्यय – उल्लेख करें :					
	8323	वृद्धावस्था पेंशन					
	8324	राष्ट्रीय परिवार सहायता					
	8325	बेरोजगारी भत्ता					
	8326	पंच/सरपंच प्रशिक्षण					
	8327	निशक्त पुर्नवास,विकलांग शिविर					
	8328	मद्य निशेध					
	8329	ग्रामसभा सुद्ढीकरण					
	8330	पुरस्कार वितरण ग्रा.पं.					
	8331	ग्राम न्यायालय मानदेय एवं भत्ता					
		पूंजीगत संदाय तथा समायोजन :					
	7000-7099	जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त ऋणों का प्रतिसंदाय					
	7000	सरकार से ऋण					
	7001	जिला पंचायत से ऋण					
	7002	पंचायत राज्य वित्त निगम से ऋण					
	7003	बैंको से ऋण					
	7004-7009	अन्य ऋण – उल्लेख करें :					
	7004	स्व–सहायता समूह ऋण					
	7100-7199	प्रतिभूति तथा अन्य जमा का प्रतिदाय :					
	7100	प्राप्त प्रतिभूति जमा का प्रतिदाय					
	7101	प्राप्त अग्रिम धन का प्रतिदाय					
	7102-7199	प्राप्त अन्य जमा का प्रतिदाय					
	7102	गौण खनिज रायल्टी ग्राम पंचायतों को वापस					
	7103	विकलांग शिविर					
	7104	ट्रायसेम छात्रवृत्ति वापस					
	7105	बीपीएल सर्वे मानदेय वापस					
	7106	पंचायत प्रेस स्टेशनरी ग्रा.पं.					
	7107	वाणिज्य कर ग्रा.पं.					

	7108	नीलामी अमानत वापसी					
	9000-9099	जनपद पंचायत द्वारा की गई प्रतिभूति तथा अन्य जमा :					
	9000	की गइ प्रतिभूति जमा					
	9001	अग्रिम धन जमा किया गया					
	9002-9099	किये गये अन्य जमा :					
	9002	कर्मचारी वृत्ति कर					
	9003	कम्रचारी भविष्यनिधि आहरण					
	9100-9299	ग्राम पंचायत तथा अन्य को ऋण					
	9200-9299	अन्य व्यक्तियों का ऋण – उल्लेख करें					
	9300-9399	कर्मचारियों तथा अन्यों को ऋण तथा अग्रिमः					
	9300	वाहन ऋण					
	9301	भवन निर्माण ऋण	350000	0	0	0	0
	9302	सामान्य भविष्य निधि/भविष्य निधि पेटे ऋण	0	50000	0	0	20000
	9303	अनाज ऋण	0	10000	0	0	5000
	9304	यात्रा ऋण					
	9305	त्यौहार अग्रिम	600	3000	0	0	3000
	9306	कर्मचारियों को अन्य अग्रिम	21500	0	0	0	0
	9307-9399	अन्य व्यक्तियों को अग्रिम – उल्लेख करें					
	9307	पंचायत निर्वाचन ईंधन अग्रिम					
	9308	जीप मरम्मत हेतु अग्रिम					
	9309	पशु औशधी हेतु क्रय हेतु अग्रिम					
	9310	एस.जी.एस.व्हॉय प्रशिक्षण अग्रिम					
	9311	कम्पयूटर स्टे.अग्रिम					
	9312	संविदा शिक्षक भर्ती अग्रिम					
	9313	शिक्षाकर्मी नियुक्ति अग्रिम					
	9314	यूनिसेफ अग्रिम					
	9315	सूखा राहत अग्रिम					
	9316	ग्रा.प. अग्रिम					
	9400-9499	पूंजीगत व्यय (स्वयं के स्त्रोंतो से)					
	9400	भवन निर्माण में दुकानों का निर्माण	549832	0	0	0	0
	9401	मशीनरी क्रय/टाईपराईटर/डुप्लीकेटिंग मरम्त	935	15000	0	0	3000
	9402	वहनों का क्रय					
	9403	साईकिल क्रय					

	9404	फर्नीचर तथा फिक्सचर का क्रय	0	25000	0	0	35000
	9405	दृश्य श्रव्य उपकरणों का क्रय/कम्प्युटर सामगी/मरम्मत	17000	20000	26015	0	30000
	9406	विद्युत उपकरण एवं फिटिंग्स (नवीन कम्प्यूटर हेतु लाईट फिटिग)	23340	5000	0	0	27000
	9407	कार्यालय उपकरणों का व्यय					
	9408-9499	अन्य आस्तियां – उल्लेख करें					
	9408	कम्प्यूटर हेतु आवश्यक निर्माण एवं उपकरण फिटिंग					
	9409	बोरखनन एवं विद्युत पंप					
	9410	पेयजल हेतु टेंकर					
	9411	संविदा शिक्षक सेवा छोडने पर जमा से व्यय					
	9412	जनपद भवन विस्तार (ज.पं.निधि)					
	9413	(ब्लॉक कॉलोनी) ज.पं.आवास परिसर की बाउन्ड्रीवाल					
	9414	शासकीय क्वार्टर विद्युत बिल					
	9415	लेखापाल धरोहर से केवीपी					
	9416	समग्र स्वच्छता कार्यशाला					
	9417	बैंक ब्याज मदों में हस्तांतरण					
	9418	हस्तशिल्प मेला जिला पंचायत					
		व्यय का योग	**2203408**	**1452000**	**0**	0	**1292000**
	9499	हस्ते नकदी तथा बैंक अतिशेशों का अंतिम .... अतिशेश (विशिष्ट प्रयोजनार्थ ऋण तथा अनुदान पेटे अव्ययित अतिशेश रूपये को सम्मिलित करते हुए)					
		प्रस्तावित लाभ					
		कुल योग					

सभापति : मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अध्यक्ष

जनपद पंचायत घटिया

जनपद पंचायत
घटिया

अध्याय बारह
अनुदान,राज्य सहायता कार्यक्रमों की रीति

73 वे संविधान संशोधन में वर्णित प्रावधान अनुसार प्रदेश में राज्य वित्त आयोग गठित है, आयोग की अनुशंसा अनुसार पंचायतों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के कार्यो के लिए अनुदान नियमानुसार प्रदाय किया जाता है ।

अध्याय तेरह
रियायते अनुज्ञा पत्र तथा प्राधिकार का विवरण

पंचायत विभाग व्दारा पंचायतों को किसी प्रकार रियायतें अनुज्ञा पत्र तथा प्राधिकार देने संबंधी प्रावधान नही है ।

अध्याय चौदह
इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाऐं
म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाती है। योजनाओं के लाभ तथा रियायतों की जानकारी
आम लोगों तक पहूचाने के लिए निम्नांकित माध्यमों का उपयोग किया जाता है :–
1. विभागीय कलापथक दल द्वारा नाटक, गीत तथा अन्य सांस्कृतिक विधाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है ।
2. विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में टी.वी. प्रतिष्ठापित की गई है। जिनके द्वारा आम लोगों को जानकारी सुलभ कराई जाती है।
3. समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से भी योजनाओं की जानकारी आम लोगों के लिए प्रकाशित की जाती है ।
4. पंचायत पत्रिका–''पंचायिका'' का प्रकाशन
विभाग द्वारा माह जनवरी 97 में विभागीय पत्रिका मध्यप्रदेश पंचायिका का प्रकाशन आरंभ किया गया है । यह पत्रिका प्रदेश में संचालित पंचायत राज की गतिविधियों को प्रकाशित
करती है । यह मासिक पत्रिका राज्य शासन और सुदूर गांवों में ग्राम शासन चलाने वाले पंचायत प्रतिनिधियों/अधिकारियों के बीच संपर्क सेतु बन गई है। यह पत्रिका पंचायतीराज
संस्थाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को भी प्रकाशित करती है । पंचायत राज की खूबियों
और सुधार के लिए उपायों को भी रेखांकित करती है । ग्रामीण क्षेत्र की जनता की मांग को दृष्टि में रखकर प्रकाशन खुले बाजार में भी उपलब्ध कराया जा रहा है । यह पत्रिका प्रत्येक माह प्रदेश के सभी जिला और जनपद पंचायतों को तथा ग्राम पंचायतों तक पहुॅचाई जा रही है ।
4. समय समय पर विभागीय योजनाओं की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। जिसमें सूचना बोर्ड, पंपलेट, हेंडविल, चार्ट तथा अन्य तरह से योजनाओं की जानकारी सुलभ कराई जाती है ।
5. आम लोगों को अभिलेखों के निरीक्षण तथा वांछित प्रतिलिपियाँ प्रदाय करने की सुविधा कार्यालयों से उपलब्ध कराई जाती है ।
6. कार्यालय में ग्रामीण विकास विभाग एंव पंचायत एंव सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओ
का कार्य कम्पयुटर के माध्यम से किया जाता है । लोक सुचना अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार नागरिक
कार्यालय से कार्यालयीन समय में वांछित सुचनाए प्राप्त कर सकते है ।

अध्याय – सोलह
लोक सूचना अधिकारी के नाम तथा पदनाम

श्री एम.एस.ठाकुर
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पेचायत घटिया
एवं
श्री के.एन.खत्री
सहायक लोक सुचना अधिकारी
पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक
जिला अपील प्राधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उज्जैन

अध्याय सत्रह

अन्य उपयोगी जानकारी

विभाग व्दारा प्रकाशित अधिनियम तथा नियम

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 के अधीन लागू संगत नियम एवं आदर्श उपविधियॉ निम्नवत है :–

———————

1. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 (धारा 43 के अंतर्गत)
2. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (उप–सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम,1995 (धारा 17,25 व 32)
3. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्ते तथा अपवाद) नियम, 1996(धारा 77(1)
4. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 (धारा 6(3)
5. मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उपसरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994 (धारा 21 (2)
6. मध्यप्रदेश पंचायत (सम्मिलन की प्रकिया तथा कामकाज का संचालन) नियम,1994 (धारा 44(1)
7. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदारवधि और कामकाज के संचालन की प्रकिया) नियम, 1994 (धारा 46(3)
8. मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां (सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियॉ और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रकिया) नियम, 1994 (धारा 47(4),(5) (6)
9. मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप–सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियॉ और कृत्य) नियम, 1994 (धारा 48)
10. मध्यप्रदेश पंचायत(ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन)नियम,1994 (धारा 58 (2)
11. मध्यप्रदेश पंचायत (पंचायतों और पंचायत तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच संबंधों का विनियमन) नियम, 1994 (धारा 90 (2)
12. मध्यप्रदेश पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम, 1994 (धारा 125 (1), 126 (1) व 127 (1)
13. मध्यप्रदेश पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 (धारा 65 (2)
14. मध्यप्रदेश पंचायत (उपविधियॉ नियम, 1994 (धारा 96 (4)
15. मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1999
16. मध्यप्रदेश पंचायत (सरकार या वित्तीय संस्थाओं से ऋण) नियम, 1999
17. मध्यप्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तृतीयवर्ग (लिपिकीय और अलिपिकीय) सेवाभर्ती नियम, 1992
18. मध्यप्रदेश पंचायत और ग्रमीण विकास विभाग चतुर्थ वर्ग सेवा भर्ती नियम, 1992
19. मध्यप्रदेश पंचायत (अवसूलीय राशिॅ) नियम, 1995 (धारा 116)
20. मध्यप्रदेश पंचायत (संविदा निष्पादन का तरीका) नियम, 1995 (धारा 67)
21. मध्यप्रदेश पंचायत (काराधान के विरूद्ध अपीलों की रीति तथा परिसीमा) नियम, 1995 (धारा 79)
22. मध्यप्रदेश पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 (धारा 84 (1), (2)
23. मध्यप्रदेश पंचायत (अभिलेखों तथा प्रतियों का निरीक्षण) नियम, 1995 (धारा 118)

24. मध्यप्रदेश पंचायत (करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा विनियमन) नियम,1995 (धारा 78 (1)

25. मध्यप्रदेश पंचायत (अपील तथा पुरनीक्षण) नियम, 1995 (धारा 91)

26. मध्यप्रदेश पंचायत (अभिलेखों तथा वस्तु की वापसी और धन की वसूली) नियम,1995(धारा 92 (2)

27. मध्यप्रदेश पंचायत (सरकारी भूमियों का प्रबंध) नियम, 1995 (धारा 128)

28. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन याचिका प्रतिभूति निक्षेप (विधिमान्यकरण)अधिनियम,1996(क. 9/1996) (मध्यप्रदेश राजपत्र 17 अप्रैल, 1996)

29. मध्यप्रदेश पंचायत (निर्वाचन अर्जियॉ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता)नियम,1995(धारा 122 (1), (3)

30. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत (फीस संग्रहण का पटटा) नियम,1995 (धारा 80)

31. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्यिॉ तथा कृत्य)नियम, 1995 (धारा 72)

32. मध्यप्रदेश जिला पंचायत (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 (धारा 117)

33. मध्यप्रदेश जनपद पंचायत (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 (धारा 117)

34. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ता) नियम, 1995 (धारा 117)

35. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (निर्धन व्यक्तियों को उधारों की मंजूरी) नियम, 1995 (धारा49 (28)

36. मध्यप्रदेश पंचायत (पत्र व्यवहार) नियम, 1995 (धारा 95 (1)

37. मध्यप्रदेश पंचायत (सूचना तथा दस्तावेज की तामील की पद्धति) नियम, 1995(धारा 119)

38. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 1996(धारा 77 (2)

39. मध्यप्रदेश जनपदपंचायत रंगमंच कर(अधिरोपण,निर्धारण तथा संग्रहण का निवियमन)नियम,1996 (धारा 77 (1)

40. मध्यप्रदेश पंचायत सदस्य (प्रतिनिधि का नामांकन) नियम, 1997

41. मध्यप्रदेश पंचायत संपरीक्षा नियम, 1997

42. मध्यप्रदेश जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997

43. मध्यप्रदेश जनपद पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997

44. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997

45. मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997

46. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत स्थानीय निकाय कर– अधिरोपण, निर्धारण, उग्रहण, शर्ते,अपवाद के विनियम, तथा अपील नियम–1997 (अधिसूचना कमांक ठ–1–7–97XXIIP-2 दिनांक 24 मई, 1997 द्वारा (धारा 77) (78(1) तथा (79) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में निर्मित विनियम तथा अपील नियम राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए गए–(मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 24.5.1997)

47. मध्यप्रदेश जिला पंचायत राज निधि नियम, 1998

48. जिला पंचायत (कार्य) नियम, 1998

49. मध्यप्रदेश पचांयत अनूसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा(गठन, सम्मिलन की प्रकिया तथा कार्य संचालन)

50. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (पशु वधशलाा का विनियम) नियम, 1998

51. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (धृणोत्पादक या खरतनाक वस्तुओं के व्यापार का विनियमन) नियम, 1998

52. मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998
53. मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत (वार्शिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट)
54. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (मांस का विकय तथा परिक्षरण) नियम, 1998
55. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (वार्शिक लेखा तथा प्रशासन रिपोर्ट) नियम, 1999
56. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (संरचानाओं तथा वृक्षों को हटाने संबंधी शाक्ति)नियम,1999
57. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्वच्छता सफाई तथा न्यूसेस का निवारण तथा उपशमन)
58. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (शवों पशु शवों और घृणास्पद पदार्थो का व्ययन करने के लिये स्थानों कर विनियमन) नियम, 1999
59. मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 1999
60. पंचायत तथा समाज कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं तथा पाठ्यकम संबंधी नियम
61. मध्यप्रदेश पंचायत एवं कल्याण तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम,1998
62. मध्यप्रदेश जिला पंचायत (लेखा) नियम,1999
63. मध्यप्रदेश जनपद पंचायत (लेखा) नियम 1999
64. मध्यप्रदेश पंचायत (पशुपालन सेवा भरती) नियम 1999
65. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा सेवा (भारतीय चिकित्सा पद्धत्ति यूनानी तथा होम्योपैथी)नियम 1999
66. मध्यप्रदेश विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय और अलिपिक वर्गीय सेवा) भरती नियम, 1999
67. मध्यप्रदेश पंचायत तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (कृशि सेवा भरती) नियम, 1999
68. मध्यप्रदेश पंचायत (महिला एवं बाल विकास सेवा भरती) नियम, 1999
69. मध्यप्रदेश जनपद पंचायत (नौघाट प्रबंधन) नियम, 1998
70. मध्यप्रदेश पंचायत (पदधारियों द्वारा त्यागपत्र) नियम, 1995
71. मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण विकास सेवा भरती) नियम, 1999
72. मध्यप्रदेश पंचायत (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक उद्यानिकी सेवा भरती) नियम, 1999
73. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम,1999
74. मध्यप्रदेश पंचायत (मत्स्य पालन सेवा भरती) नियम, 1999
75. मध्यप्रदेश पंचायत (स्वास्थ्य तथा भरती) नियम, 1999
76. मध्यप्रदेश पंचायत (भू राजस्व पर उपकर की वृद्धि तथा वितरण) नियम, 1999
77. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999
78. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियॉ तथा कृत्य) नियम, 1999
79. मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999
80. मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (कला कर्मी) भरती नियम, 1999
81. मध्यप्रदेश पंचायत (सामग्री तथा माल का कय) नियम, 1999
82. मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में आरक्षित स्थानों पदों के आवंटनअपवर्जन नियम, 1999
83. मध्यप्रदेश जनपद पंचायत (कृशि भूमि पर विकास कर का अधिरोपण) नियम, 1999
84. मध्यप्रदेश ग्रामसभा (समितियों के सम्मिलन,कामकाज के संचालन की प्रकिया तथा संबंद्ध विशय)नियम, 2001
85. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (अपील) नियम, 2001
86. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (निर्धन व्यक्तियों को उधार की मंजूरी) नियम, 2001
87. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (बजट अनुमान) नियम, 2001

88. मध्यप्रदेश ग्राम सभा (ग्राम कोश का संधारण) नियम, 2001
89. मध्यप्रदेश सभा वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्ते तथा अपवाद) नियम, 2001
90. मध्यप्रदेश ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्ते तथा अपवाद) नियम, 2001
आदर्श उपविधियॉ
1. ग्राम पंचायत पशुओं द्वारा पिये जाने वाले जल संसाधनों का सन्निर्माण तथा अनुरक्षण उपविधियॉ
2. ग्राम पंचायत धर्मशाला, सराय तथा विश्राम गृह विनियमन उपविधियॉ, 1998
3. ग्राम पंचायत प्रदर्शन, मनोरंजन गृहों और खाद्य पदार्थो के विक्रय पर का विनियमन तथा नियंत्रण, उपविधियॉ
4. ग्राम पंचायत खेल का मैदान, क्लब,व्यायामशाला,पुस्तकालय,पार्क आदि का सन्निर्माण तथा संधारणउपविधियॉ
5. ग्राम पंचायत घास–पातहटाने जाने संबंधी उपविधियॉ
6. ग्राम पंचायत पड़ाव स्थल का उपयोग विनियमन उपविधियॉ
7. ग्राम पंचायत अग्निशमन उपविधियॉ
8. आवारा तथा पागल कुत्तों द्वारा कारित लोक अव्यवस्था नियंत्रण उपविधियॉ
9. ग्राम पंचायत (भवनों के परि निर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण) उपविधियॉ
10. ग्राम पंचायत के भीतर सुअरों के रखने को विनियमित करने संबंधी उपविधियॉ